



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

वार्षिक लेखा

एवं

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2018-19

वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट में दिए गए
लेखा -परीक्षा आपत्तियों /विचारों पर की गई
कार्रवाई की टिप्पणी सहित



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन-682009

वार्षिक लेखा

2018-19

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
		तुलन पत्र	1
		लाभ और हानि लेखा	2
अनुसूची	उप अनुसूची		
		तुलन पत्र हेतु अनुसूचियाँ:	
I		संचय एवं अधिशेष	3
		सांविधिक संचय	3
		अनुदान सहायता	3
II		ऋण निधियाँ	3
III		अवमूल्यन के लिये पूंजिगत परिसम्पत्तियाँ और प्रावधान	5
IV		निवेश	4
V		विविध देनदार	4
VI		नकद एवं बैंक में जमा राशि	4
VII		ऋण एवं अग्रिम	4
VIII		मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों	4
		तुलन पत्र के लिये अनुसूचियों हेतु उप अनुसूचियाँ:	
	क	पूँजी संचित	6
	ख	निधियाँ एवं सांविधिक संचय	7
	ग	अनुदान सहायता	8
	घ	बैंक में जमा राशि एवं नकदी	9
		निवेश	10
		लाभ और हानि लेखा के लिये उप अनुसूचियाँ	
		आय	
	ड	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	11
	च	पोर्ट और गोदी शुल्क	11
	छ	रेलवे आमदनी	11
	ज	संपदा किराया	11
		व्यय	
	झ	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	12
	ञ	नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ	12
	ट	रेलवे कार्य	12
	ठ	भाड़ा योग्य भूमि और भवनों	13
	ड	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन	13
	ढ	वित्त और विविध आय	14
	ण	वित्त और विविध व्यय	14
		लाभ और हानि लेखा के लिये अतिरिक्त अनुसूची	15-17
IX		कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के तुलन पत्र	18
		सी.एफ.एच के आय और व्यय लेखा	19
		सी.एफ.एच. की प्राप्ति और भुगतान खाता	20
X		वार्षिक लेखा के लिये टिप्पणियाँ	21 - 36
XI		पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	37 - 41
XII		लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई	42 - 50

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
31 मार्च 2019 तक तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	2018-19		2017-18	
		₹	₹	₹	₹
I निधि के स्रोत					
संचय और अधिशेष	I				
क पूंजिगत संचय		84,84,07,574		84,84,07,574	
ख निधियाँ		63,83,013	85,47,90,587	54,21,299	85,38,28,873
ग सांविधिक संचय			16,72,81,794		16,72,81,794
घ सहायता अन्दान			25,84,81,066		5,69,54,035
ऋण निधियाँ	II				
क सरकारी ऋण		5,02,67,62,290		5,58,52,91,433	
ख असुरक्षित ऋण		2,48,75,272	5,05,16,37,562	2,79,21,057	5,61,32,12,490
कुल			6,33,21,91,008		6,69,12,77,192
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
कुल योग			6,33,33,77,374		6,69,24,63,558
II निधियों का प्रयोग					
स्थिर / पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ	III				
सकल ब्लॉक		6,88,71,12,299		6,85,01,90,470	
न्यून:अवमुल्यन हेतु प्रावधान		3,02,33,71,954		2,83,75,27,804	
निवल ब्लॉक			3,86,37,40,345		4,01,26,62,666
पूंजिगत कार्य प्रगति पर			20,54,03,844		24,58,73,181
निवेश	IV		15,00,000		15,00,000
मौजूदा परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
क चालू परिसम्पत्तियाँ:					
i अर्जित ब्याज		4,11,91,387		3,32,77,397	
ii संपत्ति सूची		86,73,328		97,47,664	
iii विविध देनदार	V	1,38,10,90,200		1,47,36,76,883	
iv नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	2,35,41,97,396		2,11,88,92,585	
ख ऋण एवं अग्रिम	VII	81,56,61,603		80,23,50,796	
कुल		4,60,08,13,914		4,43,79,45,324	
न्यून:चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	VIII	7,47,66,53,342		7,33,59,34,632	
निवल चालू परिसम्पत्तियाँ			-2,87,58,39,428		-2,89,79,89,308
ग लाभ और हानि लेखा (संचित हानि)			5,13,73,86,247		5,32,92,30,653
कुल			6,33,21,91,008		6,69,12,77,192
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
कुल योग			6,33,33,77,374		6,69,24,63,558

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
अध्यक्ष

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

	उप अनुसूची	2018-19	2017-18
		₹	₹
आय			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	ड	2,29,58,57,747	1,99,70,95,790
पोर्ट एवं गोदी प्रभार (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	च	2,47,59,33,425	2,21,63,02,337
रेलवे आमदनी	छ	0	0
सम्पदा भाड़ा	ज	1,08,33,40,908	1,05,45,47,929
कुल		5,85,51,32,081	5,26,79,46,056
कम व्यय:			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार	झ	56,10,46,521	55,07,87,379
नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	ञ	1,69,75,67,012	1,74,53,90,002
रेलवे कार्य	ट	0	0
भाड़ा योग्य भूमि एवं भवनों	ठ	24,96,42,092	23,22,15,018
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन (विशेष गतिविधि के लिये सीधे उत्तरदायी नहीं)	ड	1,23,84,53,478	1,14,37,87,999
कुल		3,74,67,09,103	3,67,21,80,398
परिचालन लाभ (+) / हानि (-)		2,10,84,22,978	1,59,57,65,658
योग: वित्त और विविध आय	ढ	46,60,81,151	51,14,89,391
कुल		2,57,45,04,129	2,10,72,55,049
न्यून: वित्त और विविध व्यय	ण	2,38,26,59,723	1,97,17,83,311
कर पूर्व लाभ		19,18,44,406	13,54,71,738
न्यून: कराधान हेतु प्रावधान			
कर पश्चात लाभ		19,18,44,406	13,54,71,738
न्यून : विनियोजन पूँजिगत संचय		0	0
कुल			
राजस्व संचय के लिये शेष स्थानान्तरित		19,18,44,406	13,54,71,738
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह			
आय	त	3,79,53,088	3,98,25,114
व्यय		3,84,10,243	3,23,33,116
अधिशेष(+)/ घाटा (-)		-4,57,154	74,91,998

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
31.03.2019 तक तूलन पत्र के लिये अनुसूचि

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2018-19	2017-18
			₹	₹
संचय और अधिशेष	I	क एवं ख		
पूंजीगत संचय			84,84,07,574	84,84,07,574
सीपीई(एचबीए) परिवार लाभ निधि			36,35,358	30,86,183
कर्मचारी कल्याण निधि			25,85,541	22,12,626
परिवार सुरक्षा निधि			1,62,114	1,22,490
कुल			85,47,90,587	85,38,28,873
सांविधिक संचय	I	ख		
पूंजीगत संपदाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु निधि			9,83,85,897	9,83,85,897
विकास, आकस्मिक व्यय और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि			6,88,95,897	6,88,95,897
कुल			16,72,81,794	16,72,81,794
सहायता अनुदान	I	ग		
एसआईडीई योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान			-7,53,81,316	-3,11,40,617
पैदल रास्ता और पार्किंग सुविधाओं के विकास हेतु सहायता अनुदान			1,10,28,679	74,63,411
अतिरिक्त पर्यटन सुविधा -पैदल रास्ता सृजन हेतु सहायता अनुदान			2,36,98,274	0
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे/फलाईओवर के निर्माण हेतु सहायता अनुदान			3,27,91,055	-1,39,29,019
रेल ओवर ब्रिज के लिए सहायता अनुदान			13,26,31,922	-5,31,61,245
आर एवं डी योजना के अंतर्गत "अवसादन एवं इष्टतम सुधारक उपायों पर अध्ययन" पर सहायता अनुदान			-10,10,380	13,40,419
कोचिन पोर्ट में तटीय द्रव्य टर्मिनल के नवीकरण एवं क्षमता संवर्धन के लिये सहायता अनुदान			0	-1,35,93,140
प्रदूषण प्रतिक्रियाओं (पीआर) उपकरण / सामग्री की खरीद के लिए सहायता अनुदान			62,74,018	63,74,188
आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान			-22,15,032	59,018
एरणाकुलम वार्फ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण के लिए सहायता अनुदान			4,59,20,573	4,17,17,000
क्रूस टर्मिनल के लिए बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान(सामुद्रिका)			61,36,545	0
कुल			17,98,74,338	-5,48,69,985
न्यून: सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम- चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनावृत मंत्रालय से प्राप्त			-7,86,06,728	-11,18,24,020
कुल जोड़			25,84,81,066	5,69,54,035
ऋण निधियाँ				
क. सरकार से ऋण	II			
ऋण की मूल राशि			2,32,32,87,400	2,58,14,30,444
योग:अर्जित ब्याज			2,54,56,87,478	2,82,85,41,642
योग:अर्जित जुर्माना ब्याज			15,77,87,412	17,53,19,347
इति शेष			5,02,67,62,290	5,58,52,91,433
ख असुरक्षित ऋण	II			
(क) अन्य स्रोत ऋण				
ऋण की मूल राशि			29,91,508	66,39,257
योग:अर्जित ब्याज			2,18,83,764	2,12,81,800
इति शेष			2,48,75,272	2,79,21,057

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2019 तक तूलन पत्र के लिये अनुसूचियाँ

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2018-19	2017-18
			₹	₹
निवेश	IV			
शेयरों में निवेश			15,00,000	15,00,000
कुल			15,00,000	15,00,000
विविध देनदार	V			
सरकारी देय			11,63,78,290	10,74,72,785
□ - 6 माह से कम			68,99,43,170	75,39,14,069
□ - 6 माह से अधिक			9,79,79,546	8,58,22,229
गैर सरकारी देय			56,72,08,768	62,71,57,455
- 6 माह से कम				
- 6 माह से अधिक				
			1,47,15,09,774	1,57,43,66,538
न्यून:संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			9,04,19,573	10,06,89,655
कुल			1,38,10,90,200	1,47,36,76,883
नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	घ		
नकदी			14,196	6,146
बैंक में जमा राशि:				
वर्तमान लेखा			13,62,85,696	17,12,69,984
मियादी जमा			2,21,76,32,520	1,94,73,91,982
कैश कार्ड			2,64,985	2,24,473
कुल			2,35,41,97,396	2,11,88,92,585
ऋण एवं अग्रिम (नकद या प्रकार में वसूलीयोग्य अथवा प्राप्त किये जाने के लिये मूल्य)	VII			
अग्रिम में भुगतान एवं शेष ऋण जमा			70,99,43,940	66,61,12,888
योग:मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम			2,71,10,934	2,44,13,887
			7,86,06,728	11,18,24,020
कुल			81,56,61,603	80,23,50,796
वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधानों	VIII			
वर्तमान देनदारियाँ				
सामान्य भविष्य निधि			64,88,53,302	60,94,75,132
देय वेतन व मजदूरी			50,37,43,181	32,54,46,911
देय ईएसआई अंशदान			0	1,86,611
देय ईपीएफ अंशदान			6,03,185	6,09,781
अर्जित व्यय			2,34,13,00,735	2,32,81,93,333
विविध लेनदार और जमा शेष			1,87,85,76,185	2,01,71,66,597
व्यापारी, ठेकेदार और दूसरों से जमा			2,10,35,76,754	2,05,48,56,267
कुल			7,47,66,53,342	7,33,59,34,632

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

अनुसूची III

31.03.2019 तक पूंजीगत परिसम्पत्ति रजिस्टर

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	परिसम्पत्तियाँ	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन हेतु प्रावधान				निवल ब्लॉक	
		01-04-2018 तक	योग	विलोपन	31-03-2019 तक	01-04-2018 तक	विलोपन पर	वर्ष के दौरान	31-03-2019 तक कुल	31-03-2019 तक	01-04-2018 तक
1	भूमि	51,49,16,218	0	0	51,49,16,218	0	0	0	0	51,49,16,218	51,49,16,218
2	पूंजी निकर्षण	84,42,64,556	0	3,02,683	84,39,61,873	17,39,20,295	72,630	84,56,966	18,23,04,631	66,16,57,242	67,03,44,261
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएँ	73,02,97,573	1,77,19,520	3,88,000	74,76,29,092	33,50,11,623	1,93,947	2,39,40,808	35,87,58,484	38,88,70,609	39,52,85,949
4	वाफों, सड़कों और चौहदियों	1,84,26,78,679	32,76,708	0	1,84,59,55,387	51,74,20,900	0	4,00,66,269	55,74,87,169	1,28,84,68,218	1,32,52,57,778
5	प्लव यान	1,47,26,09,426	0	98,56,226	1,46,27,53,200	98,50,57,361	98,56,225	4,45,13,801	1,01,97,14,937	44,30,38,263	48,75,52,064
6	गोदी, समुद्री बांध आदि	18,18,56,439	0	0	18,18,56,439	15,43,18,242	0	1,10,68,973	16,53,87,216	1,64,69,223	2,75,38,197
7	क्रेनों और वाहनों	17,05,46,298	29,51,792	0	17,34,98,090	10,33,65,998	0	1,58,63,056	11,92,29,054	5,42,69,036	6,71,80,297
8	संयंत्र और मशीनरी	38,15,44,629	0	0	38,15,44,629	20,77,54,839	0	2,39,71,689	23,17,26,529	14,98,18,100	17,37,89,790
9	जल, बिजली, अग्निशमन एवं दूर संचार हेतु स्थापनाएँ	66,32,48,779	2,44,01,323	9,55,620	68,66,94,482	31,58,31,009	2,25,876	2,78,60,573	34,34,65,706	34,32,28,776	34,74,17,769
10	तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ	3,83,25,308	0	0	3,83,25,308	3,75,80,638	0	46,541	3,76,27,179	6,98,129	7,44,671
11	विविध परिसम्पत्तियाँ	99,02,563	75,019	0	99,77,582	72,66,893	0	4,04,157	76,71,050	23,06,532	26,35,672
	कुल	6,85,01,90,465	4,84,24,362	1,15,02,529	6,88,71,12,299	2,83,75,27,798	1,03,48,678	19,61,92,833	3,02,33,71,954	3,86,37,40,345	4,01,26,62,665
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	24,58,73,181	5,35,66,541	9,40,35,877	20,54,03,844	0	0	0	0	20,54,03,844	24,58,73,181
	कुल योग	7,09,60,63,646	10,19,90,903	10,55,38,406	7,09,25,16,143	2,83,75,27,798	1,03,48,678	19,61,92,833	3,02,33,71,954	4,06,91,44,189	4,25,85,35,846

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

पूंजीगत संचय

विवरण	₹
1.4.2018 तक आदि शेष	84,84,07,574
31.3.2019 तक इति शेष	84,84,07,574

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

निधियों एवं सांविधिक संचयों का विवरण

जी/एल कोड	परिवार सुरक्षा निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	भवन निर्माण अग्रिम-एफबीएफ	ऋणों एवं आकस्मिक व्ययों के पुनर्भुगतान विकास हेतु संचय	प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं पूंजीगत संपदाओं के आधुनिकीकरण हेतु संचय
	110102	110101	110100	110201	110200
	₹	₹	₹	₹	₹
1 अप्रैल 2018 तक शेष	1,22,490	22,12,626	30,86,183	6,88,95,897	9,83,85,897
<u>योग:</u> जीआरएफ से अंशदान	8,00,000	7,00,000	51,800		
कर्मचारियों से अंशदान	1,94,625	0	1,05,542		
बीमा निगम से दुर्घटना दावा	0	0	3,75,000		
निवेश पर ब्याज	0	0	1,68,379		
कुल	11,17,115	29,12,626	37,86,904	6,88,95,897	9,83,85,897
<u>न्यून:</u> निधि से व्यय/समायोजन	9,55,001	3,27,085	1,51,546		
31 मार्च 2019 तक शेष	1,62,114	25,85,541	36,35,358	6,88,95,897	9,83,85,897

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
सहायता अनुदान

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	जीएल	अनुमोदित रकम											2013-14 के पूर्व								2013-14 के पूर्व		शेष
				2013-14 के पूर्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	अर्जित ब्याज	कुल	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	भुगतान ब्याज	कुल				
1	बार्ज बर्थ के लिये एएसआईडीई अनुदान	110004	15.00	-	7.50	-	-	0.88	-	-	1.40	9.78	-	-	-	-	6.99	6.59	4.42	-	18.00	-8.22		
2	सीएफएस के लिये एएसआईडीई अनुदान	110004	8.08	-	2.02	-	2.02	-	-	-	0.07	4.11	-	0.40	2.92	0.40	-0.31	-	-	-	3.41	0.70		
3	पैदलरास्ता के लिये विकास (फेस I, II, III)	110005	9.01	0.12	1.12	-	-	4.75	0.05	2.70	0.34	9.08	0.21	0.84	0.01	0.31	0.23	3.69	2.69	-	7.98	1.10		
4	अतिरिक्त पर्यटन सुविधा - पैदल रास्ता का सृजन	110017	4.66	-	-	-	-	-	-	2.33	0.04	2.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.37		
5	सबवे-बल्लारपाडम	110007	30.00	-	-	10.00	-	8.45	8.31	3.00	0.98	30.74	-	-	0.53	10.68	9.54	6.18	0.53	-	27.46	3.28		
6	बल्लारपाडम में रेल ओवर ब्रिज	110015	409.83	373.22	-	-	-	-	5.00	31.61	0.88	410.71	360.34	0.11	3.30	7.67	7.76	5.58	12.69	-	397.45	13.26		
7	अवसादन पर आर एवं डी अध्ययन	110008	5.37	-	-	1.25	2.00	-	2.11	-	0.24	5.60	-	-	0.48	0.48	3.36	1.15	0.23	-	5.70	-0.10		
8	तटीय द्रव्य टर्मिनल का नवीकरण	110010	14.96	-	-	-	7.48	5.29	-	1.68	0.54	14.99	-	-	-	0.13	8.14	5.86	0.32	0.54	14.99	0.00		
9	प्रदूषण अनुक्रिया उपकरण की खरीद	110011	5.23	-	-	-	2.61	-	-	-	0.36	2.97	-	-	-	-	-	1.98	0.01	0.36	2.35	0.62		
10	आईपीडीएस	110012	3.26	-	-	-	-	0.32	-	0.48	-	0.80	-	-	-	-	-	0.32	0.70	-	1.02	-0.22		
11	स्वच्छ भारत	110013	2.00	-	-	-	-	2.61	2.00	2.00	0.29	6.90	-	-	-	-	-	4.61	2.00	0.29	6.90	-		
12	एरणाकुलम वार्फ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण (एरणाकुलम वार्फ के क्रज टर्मिनल)	110014	21.41	-	-	-	-	4.33	-	6.37	0.47	11.17	-	-	-	-	-	0.16	6.42	-	6.58	4.59		
13	क्रस टर्मिनल के लिए बुनियादी संरचना विकास (सामट्रिका)	110016	1.21	-	-	-	-	-	-	0.60	0.01	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61		
	कुल		530.02	373.34	10.64	11.25	14.11	26.63	17.47	50.77	5.62	509.83	360.55	1.35	7.24	19.67	35.71	36.12	30.01	1.19	491.84	17.99		

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2019 तक बैंक में जमा राशि और नकदी

विवरण		₹
नकदी		14,196
कैश कार्ड		2,64,985
राष्ट्रीय एवं अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		13,62,85,696
बैंकों के साथ मियादी जमा:		
सामान्य संचय निधि	59,57,00,000	
जमा कार्य	75,79,69,520	
अनुदान	24,91,63,000	
कुल जमा		1,60,28,32,520
सामान्य भविष्य निधि		61,22,00,000
एचबीए एफबीएफ निवेश		26,00,000
कुल		2,35,41,97,396
राष्ट्रीय बैंकों के साथ शेष		2,35,41,83,200
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		शून्य

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2019 तक मियादी जमा

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	निधि/निवेश का नाम	दीर्घावधि निवेश	अल्पावधि निवेश	कुल
1	आर एण्ड आर निधि	0	59,57,00,000	59,57,00,000
2	जमा कार्य	9,97,41,071	65,82,28,449	75,79,69,520
3	अनुदान	0	24,91,63,000	24,91,63,000
4	एचबीए एफबीएफ	26,00,000	0	26,00,000
5	सामान्य भविष्य निधि	61,22,00,000	0	61,22,00,000

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

आय

	2018-19	2017-18
	₹	₹
उप अनुसूची - ड		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार		
सामान्य कार्गो पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	20,86,41,848	18,54,46,438
क्रेन-भाड़ा	5,79,850	11,21,056
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकण्ट के हस्तन प्रभार	1,02,24,96,581	83,31,27,895
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	75,22,806	70,21,488
कंटेनरों पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	29,44,227	27,93,600
विविध प्रभार - कार्गो	1,72,82,857	2,02,60,826
आईसीटीटी से राजस्व शेयर	95,05,70,342	83,10,27,512
बंदरगाह अधिशुल्क-एलएनजी बेसिन	8,58,19,236	11,62,96,975
कुल	2,29,58,57,747	1,99,70,95,790
उप अनुसूची - च		
पोर्ट और गोदी प्रभार		
नौकर्षण एवं नौबन्ध प्रभार	19,57,33,752	17,52,92,258
बर्थ किराया प्रभार	27,06,05,396	20,66,35,423
पोर्ट देय	60,64,78,897	54,72,81,614
कन्हारी शुल्क	1,29,21,16,600	1,14,17,99,691
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	1,19,72,652	1,28,70,215
विविध प्रभार- जहाज़	74,60,547	75,23,701
निकर्षण सेवाओं से आय	1,29,92,000	5,64,48,000
क्रूइस जहाज़ से आय	7,85,73,581	6,84,51,435
कुल	2,47,59,33,425	2,21,63,02,337
उप अनुसूची - छ		
रेलवे आमदनी	0	0
उप अनुसूची - ज		
संपदा भाड़ा		
ज़मीन से किराया	64,42,43,522	62,23,87,495
भवनों, शेड और गोदामों से किराया	10,59,64,782	7,77,11,640
विविध आय	31,69,63,270	32,32,71,208
विविध आय	1,61,69,335	3,11,77,585
कुल	1,08,33,40,908	1,05,45,47,929

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2018-19	2017-18
	₹	₹
उप अनुसूची - झ		
<u>कार्गो हस्तन एवं भण्डार</u>		
शेड एवं वार्फों में सामान्य कार्गो के हस्तन एवं भण्डारण	38,88,32,553	38,28,12,445
कंटेनरों के हस्तन एवं भण्डारण	14,75,615	11,62,312
क्रेन एवं जहाजों के प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,27,96,066	2,16,01,074
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकेंट के हस्तन	7,04,61,011	7,22,85,622
वार्फों एवं चौहदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	45,82,967	44,73,732
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	7,27,83,197	6,84,40,944
नये लघु कार्य	1,15,112	11,250
कुल	56,10,46,521	55,07,87,379
उप अनुसूची - ज		
<u>कन्हारी शुल्क समेत नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ</u>		
नौकर्षण, बर्थिंग एवं नौबंध	17,66,07,175	19,32,37,460
कन्हारी शुल्क	6,38,31,451	5,60,73,863
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	1,07,72,187	1,08,89,686
अग्निशमन	9,36,62,208	8,97,00,171
निकर्षण एवं समुद्री पर्यवेक्षण	1,06,52,78,728	1,12,93,67,642
हार्बर गश्ती दल	55,69,919	55,41,116
नौसंचालन संबंधी सहायता के प्रचालन एवं अनुरक्षण	3,66,03,581	3,92,63,494
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	24,52,18,037	21,83,66,570
नये लघु कार्य	23,726	29,50,000
कुल	1,69,75,67,012	1,74,53,90,002
उप अनुसूची - ट		
<u>रेलवे कार्य</u>		
स्टेशन, अन्य भवनों एवं संरचनाओं का अनुरक्षण	0	0

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2018-19	2017-18
	₹	₹
<u>उप अनुसूची - ठ</u> <u>किराये योग्य भूमि और भवनों</u>		
संपदा अनुरक्षण	14,11,64,480	12,51,49,863
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	10,84,54,487	10,70,27,356
नये लघु कार्य	23,125	37,800
कुल	24,96,42,092	23,22,15,018
<u>उप अनुसूची - ड</u> <u>प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन</u>		
प्रबंधन एवं सचिवालय व्यय	34,18,38,591	31,13,87,306
चिकित्सा व्यय	14,16,23,145	12,98,55,603
भण्डार रक्षण	2,03,67,049	1,82,10,490
लेखांकन एवं लेखा परीक्षण	29,21,20,865	24,27,13,462
मुख्य कार्यालय भवन एवं दूरभाष	88,76,180	92,38,305
अभियंत्रण एवं शिल्पशाला प्रशासन	15,41,28,355	15,66,77,810
अतिरिक्त और विविध व्यय	27,93,90,271	27,56,98,300
नये लघु कार्य	1,09,022	6,723
कुल	1,23,84,53,478	1,14,37,87,999

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

जीएल कोड	विवरण	2018-19	2017-18
		₹	₹
	उप अनुसूची - ढ		
	वित्त और विविध आय		
540000	विविध प्राप्तियाँ	8,77,13,696	21,62,27,167
540001	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	1,04,99,999	65,78,668
540003	आईजीटीपीएल से प्राप्य ब्याज	2,00,56,465	2,25,73,660
540004	पूँजीगत परिसम्पत्तियों पर बीमा दावा की वसूली	5,55,456	0
540005	ब्याज आय	8,87,09,637	5,85,29,998
540007	मोटर लॉरी और विविध संयंत्रों का किराया	3,05,088	93,391
540008	परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिये प्रभार	5,49,95,704	6,28,98,346
540009	पिछले वर्ष से संबंधित मर्दे	2,39,47,422	12,23,232
540010	पेंशनभोगियों के लिये चिकित्सा योजना	70,432	68,518
540011	गैर हकदार लोगों के लिये चिकित्सा उपचार	6,16,127	4,54,365
540012	भूमि के लीज हेतु प्रीमियम	10,78,66,068	3,17,99,872
540013	इंडिया योजना (एस ई आई एस) से सेवा निर्यात	7,07,45,056	11,10,42,174
	कुल	46,60,81,151	51,14,89,391
	उप अनुसूची - ण		
	वित्त और विविध व्यय		
670000	परिसम्पत्तियों के खण्ड	11,53,850	3,22,626
670002	बैंक प्रभार	4,12,253	9,27,705
670004	संदिग्ध ऋण के लिये प्रावधान	54,35,814	5,98,03,034
670005	उपदान - सीपी ई वी आर एस	0	5,11,68,970
670006	कर्मचारी कल्याण निधि के लिये अंशदान	7,00,000	7,00,000
670007	परिवार सुरक्षा निधि के लिये अंशदान	8,00,000	8,00,000
670008	पेंशन निधि न्यास के लिये अंशदान	2,01,67,26,552	1,53,49,50,422
670009	पिछले वर्षों से संबंधित व्यय	2,14,30,284	87,60,254
670010	सीपीटीई एचबीए एफबीएफ के लिये अंशदान	51,800	67,100
670012	सीपीई नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	85,96,565	76,27,427
670014	उपदान निधि न्यास के लिये अंशदान	15,76,43,029	15,71,00,061
670018	अनुपयोगी भण्डारों के खण्ड	0	1,193
670020	वेतन बकाया देय	10,11,65,822	13,59,00,000
670023	बिजली जमा पर ब्याज	28,97,257	30,90,182
670026	अन्य स्रोत ऋणों पर ब्याज	6,01,964	8,63,103
670027	व्यवहार्यता एवं अनुसंधान व विकास अध्ययनों पर व्यय	6,19,38,595	76,13,989
670029	ब्याज -अन्य	0	20,87,245
670030	विपत्ति सहायता निधि को अंशदान	31,05,938	0
	कुल	2,38,26,59,723	1,97,17,83,311

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31-03-2019 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु अतिरिक्त अनुसूची
परिचालन व्यय

जीएल कोड	विवरण	2018-19	2017-18
	वेतन एवं मजदूरी:		
600000	वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	18,85,69,340	17,44,24,410
600002	पीएलआर	2,41,76,298	2,10,72,410
600003	समयोपरि	1,84,70,732	1,47,37,686
600004	प्रोत्साहन	30,00,267	33,55,698
600005	मानदेय	85,69,666	81,02,569
600006	अवकाश नकदीकरण	13,71,81,704	8,49,28,632
600007	वेतन एवं मजदूरी (परिचालन)	70,01,74,523	67,79,29,087
600008	वेतन एवं मजदूरी (आर एण्ड एम)	40,96,03,617	42,39,59,867
600010	अवकाश यात्रा रियायत	5,20,480	2,57,076
600011	कर्मचारी सुविधा और कल्याण उपाय	35,028	39,707
600012	नियोक्ता ईएसआई अंशदान	17,11,325	15,74,501
600013	नियोक्ता ईपीएफ अंशदान	35,98,616	37,00,174
640000	वेतन(पत्तन सुरक्षा)	2,54,76,524	2,24,76,040
650000	वेतन एवं मजदूरी-चिकित्सा	9,86,94,134	8,99,37,464
	कुल (क)	1,61,97,82,254	1,52,64,95,322
	भण्डार		
610000	भण्डार-सामान्य	10,37,281	14,28,014
610001	भण्डार-यूनिफार्म	8,36,512	13,54,966
610002	भण्डार-परिचालन	92,77,611	94,48,647
610003	भण्डार-ईंधन	15,34,01,012	11,79,06,565
610004	भण्डार(आर एण्ड एम)	1,00,80,468	1,07,24,780
	कुल (ख)	17,46,32,884	14,08,62,972
	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय		
620000	स्टोर-स्टेशनरी की खपत	5,40,802	5,31,885
620001	पुस्तकें व पत्रिकाएं	7,925	5,810
620002	यात्रा व्यय	54,35,441	47,38,442
620004	कुरियर शुल्क	1,92,391	2,28,736
620005	लाइसेंस शुल्क व अधिशुल्क	29,39,082	30,34,323
620006	उपकरण और फर्नीचर	1,06,068	1,48,574

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

जीएल कोड	विवरण	2018-19	2017-18
		₹	₹
620010	विविध व्यय	86,28,289	42,67,323
620011	नये लघु कार्य	31,57,657	33,69,938
620012	न्यासियों के शुल्क	0	99,900
620013	मनोरंजन	5,97,237	11,65,294
620014	प्रशिक्षण कार्यक्रम	11,09,365	6,87,142
620015	क्रीड़ा और खेल कूद	9,00,000	9,00,000
620016	विधिक प्रभार	77,06,542	65,92,382
620017	मुद्रण प्रभार	7,67,618	7,83,827
620018	कार्यालय मशीन किराया और सेवा शुल्क	27,903	39,883
620019	प्रचार और विज्ञापन	45,59,566	30,64,646
620020	लेखा परीक्षा और लेखांकन	49,87,887	51,28,821
620021	किराया, दरों और शुल्कों	11,86,987	18,61,624
620022	दूरभाष	14,02,472	15,68,582
620023	अभिदान	2,20,151	1,34,294
620025	आईपीए शेयर अंशदान	1,38,45,561	1,01,66,000
620026	विपणन व्यय	16,03,351	16,22,798
	कुल (ग)	5,99,22,294	5,01,40,223
	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		
630000	ठेका सड़कों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	62,53,185	42,01,910
630001	ठेका भवनों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	72,61,233	72,81,227
630002	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	36,66,790	37,98,331
630004	प्लव यान का शुष्क गोदीयन	9,41,79,985	1,12,47,677
630005	ठेका सड़कों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	79,76,894	18,21,538
630006	ठेका भवनों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	10,11,881	8,94,666
630007	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की	41,17,204	75,41,842
630008	वाहनों का किराया और परिवहन प्रभार	90,27,807	73,63,183
630009	जल प्रभार	4,10,08,490	3,40,59,025
630012	बिजली प्रभार	24,47,53,581	23,91,93,876
630013	बोट, टॉग एवं लॉन्च का किराया	14,44,34,427	13,23,96,637
630015	निकर्षण अनुरक्षण	86,36,35,909	1,03,18,96,072
630016	विविध व्यय	2,37,11,928	3,90,03,393
630017	बीमा	33,30,229	40,65,641
630018	स्व खपत-बिजली	1,60,14,605	2,51,90,865
	कुल (घ)	1,47,03,84,148	1,54,99,55,884

जीएल कोड	विवरण	2018-19	2017-18
		₹	₹
	सुरक्षा व्यय		
640001	गश्त के लिए नाव का किराया	24,19,741	20,34,875
640002	आई एस पी एस	500	1,01,000
640004	के.ओ.सु.ब.-तैनाती प्रभार	17,54,17,322	15,81,08,209
640005	एसईजेड-लागत वसूली	40,86,314	42,47,179
640006	निजी सुरक्षा प्रभार	50,38,234	24,48,298
	कुल (ड)	18,69,62,111	16,69,39,561
	चिकित्सा व्यय		
650001	विशेषज्ञों को वेतन, शुल्क और मानदेय	32,25,494	35,26,954
650002	भण्डार-चिकित्सा	2,35,99,316	1,75,42,002
650003	प्रावधान-चिकित्सा	6,14,418	9,39,284
650004	अस्पताल उपकरण	64,160	51,743
650005	चिकित्सा व्यय	18,88,005	16,48,573
650006	बाहरी अस्पतालों को भुगतान प्रभार	94,41,184	90,31,603
	कुल(च)	3,88,32,577	3,27,40,159
	मूल्यहास		
	वर्ष के लिये अवमूल्यन	19,49,89,623	20,39,66,327
670021	पूर्वावधि अवमूल्यन	12,03,210	10,79,951
	कुल (छ)	19,61,92,833	20,50,46,278
	कुल योग (क) से (छ)	3,74,67,09,103	3,67,21,80,398

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31 मार्च 2019 तक तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण		2018-19		2017-18	
क	निधियों के स्रोत				
	भारत सरकार से प्राप्त अन्दान सहायता	19,10,32,261		19,10,32,261	
	न्यून : अन्दान प्रयुक्त	18,98,45,895	11,86,366	18,98,45,895	11,86,366
	कुल		11,86,366		11,86,366
ख	निधि का उपयोग				
	अचल सम्पत्ति				
	सकल ब्लॉक	18,98,45,895		18,98,45,895	
	कार्य प्रगति पर	0		0	
		18,98,45,895		18,98,45,895	
	न्यून : प्राप्त अन्दान	18,98,45,895	0	18,98,45,895	0
	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
	क. चालू परिसम्पत्तियाँ:				
	(i) निवेश पर अर्जित ब्याज	22,53,891		17,38,880	
	(ii) डाक टिकट	351		36	
	(iii) विविध देनदार	83,23,441		35,37,252	
	(iv) नकद और बैंक में जमा राशि	3,81,12,281		3,92,02,855	
	ख. ऋण एवं अग्रिम	<u>23,27,721</u>		<u>7,46,973</u>	
	कुल	5,10,17,684		4,52,25,996	
	न्यून: चालू देनदारियों और प्रावधानों	7,64,66,567		7,02,17,725	
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		-2,54,48,883		-2,49,91,729	
लाभ और हानि लेखा (संचित घाटा)		2,66,35,249		2,61,78,095	
	कुल		11,86,366		11,86,366

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

राशि 2017-18	व्यय	राशि 2018-19	राशि 2017-18	आय	राशि 2018-19
2,16,90,270	वेतन और अन्य लाभ	2,58,52,654	1,09,48,769	टोल संग्रह	1,07,72,245
23,26,545	बिजली प्रभार	22,80,361	19,00,192	बिजली प्रभार	20,35,002
25,27,798	सुरक्षा प्रभार	29,51,934	64,55,423	मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	57,80,641
13,23,991	जल प्रभार	14,78,623	74,69,098	भूमि पर लीज भाड़ा	69,64,450
12,06,923	मरम्मत और अनुरक्षण	16,96,756	43,54,557	भवन एवं जमीन भाड़ा	40,62,831
3,53,266	व्यावसायिक प्रभार	3,74,347	9,33,080	विविध प्राप्तियाँ	9,82,990
2,03,733	मुद्रण और लेखन सामग्री	1,95,623	24,03,963	स्लीपवे का लीज	19,66,070
59,945	विविध व्यय	1,12,020	10,31,771	जल प्रभार	11,03,761
25,939	यात्रा व्यय	48,288	9,97,235	लाइसेंसकरण एवं लाइसेंस शुल्क	8,18,170
0	पूर्व अवधि व्यय	5,38,568	5,38,568	पूर्व अवधि आय	0
58,584	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	15,993	6,16,367	मत्स्य अवतरण प्रभार	5,70,019
33,394	दूरभाष प्रभार	40,098	19,89,730	बैंक ब्याज	26,98,798
830	राजस्व एवं डाक टिकट	1,411	1,86,361	मत्स्य ग्रहण यानों का नामांकन	1,98,112
1,60,500	सेवा कर पर दण्ड	532			
23,61,398	सेवानिवृत्त फायदा के लिए प्रावधान	28,23,036			
74,91,998	अधिशेष	-4,57,154			
3,98,25,114		3,79,53,088	3,98,25,114		3,79,53,088

ह/-
 वित्तीय सलाहकार एवं
 मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिये प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपये ₹)

राशि 2017-18	प्राप्तियाँ	राशि 2018-19	राशि 2017-18	भुगतान	राशि 2018-19
1,12,193	हाथ में आदि नकद	1,55,913	1,95,09,599	वेतन और पीएलआर	2,23,11,699
1,22,51,709	बैंक में आदि नकद	3,90,46,942	58,584	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	15,993
1,86,361	मत्स्य ग्रहण यानों का पंजीकरण	1,98,112	25,939	यात्रा व्यय	48,288
9,66,211	लाइसेंसकरण एवं लाइसेंस शुल्क	8,18,170	2,01,328	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1,95,623
59,51,224	भूमि पर लीज भाड़ा	47,34,352	2,855	राजस्व और डाक टिकट	1,726
43,58,557	भवन और जमीन भाड़ा	40,68,268	12,06,923	मरम्मत और अनुरक्षण	16,96,756
20,77,377	जलावतरण(स्लीपवे) का लीज	0	0	जमा काम के लिए सीओपीटी को अग्रिम	15,25,000
6,16,367	मत्स्य अवतरण प्रभार	5,70,019	9,74,512	एसडी/जमीन भाड़ा का प्रतिदाय	6,13,293
64,55,423	मत्स्य बाहरी हस्तन प्रभार	57,80,641	33,394	दूरभाष प्रभार	40,098
18,92,514	बिजली प्रभार	20,35,002	23,26,545	बिजली प्रभार	22,80,361
1,09,48,769	टोल संग्रह	1,07,72,245	13,23,991	जल प्रभार	14,78,623
12,91,283	विविध जमा/प्रतिभूति	6,95,862	10,900	चेक प्रभार	14,632
9,30,605	विविध प्राप्तियाँ	9,82,990	41,824	विविध व्यय	96,849
14,72,989	बैंक ब्याज	21,83,787	1,40,911	सीईएसटीएटी के साथ जमा	0
12,76,220	सेवा शुल्क संग्रह	0	1,32,411	सेवा कर विलंब शुल्क पर दण्ड	532
97,032	टी डी एस देयिता	1,12,130	0	भुगतान सेवा कर	537
9,77,321	जल प्रभार	11,03,761	3,53,266	व्यावसायिक प्रभार	3,74,347
67,00,000	प्राप्त जमा	0	25,27,798	सुरक्षा प्रभार	29,51,934
42,00,527	संग्रहित जी एस टी	45,58,918	7,93,491	पूर्व जमा भुगतान सेवा कर	55,748
			87,158	टी डी एस देयिता भुगतान	1,13,268
			0	प्राप्य टीडीएस	12,574
			1,34,258	सेवा कर केनवैट ऋण	0
			31,96,910	जी एस टी भुगतान	52,29,494
			0	जी एस टी टीडीएस भुगतान	10,126
			3,77,230	जी एस टी सेंवाट क्रेडिट	6,37,331
			1,85,00,000	सावधि जमा	0
			1,55,913	इति नकद शेष	2,04,879
			1,06,46,942	इति बैंक शेष	3,79,07,402
6,27,62,682		7,78,17,112	6,27,62,682		7,78,17,112

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

वर्षिक लेखा 2018-19 हेतु टिप्पणियाँ

भाग I- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. आय और व्यय की गिनती लेखांकन के व्यापारिक प्रणाली पर आधारित है।
2. आय के लेखांकन के समय रूढ़िवाद के सिद्धांत का पालन किया गया है।
3. अचल सम्पत्ति, वस्तुसूची और निवेश की गिनती ऐतिहासिक लागत प्रणाली पर की जाती है।
4. परिसम्पत्ति का मूल्य को जीवन काल के अंत में 1/- के रुपये मानते हुये सीधी रेखा के आधार पर लेखा में मूल्यहास प्रदान किया गया है। सम्पत्ति का जीवन काल भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधार पर तय किया गया है। पूंजीकरण कि तिथि से उचित अनुपात में अवमूल्यन किया जाता है।
5. भूमि की लीज पर प्राप्त अग्रिम भुगतान लीज अवधि के लिये समरूप से परिव्याप्त है।
6. भूमि के लीज पर प्रीमियम को वित्त और विविध आय के तहत प्राप्त के वर्ष में आय के रूप में विचार किया जाता है।
7. पूर्वावधि मर्दे, जैसे कि आय अथवा व्यय जो वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में उत्पन्न त्रुटियों अथवा चूक अथवा एक या एकाधिक पूर्वावधियों के बिल या दावों के संशोधन के कारण चालू वित्त वर्ष में पैदा हुआ है, को वित्त और विविध आय अथवा वित्त एवं विविध व्यय के अधीन शामिल किया गया है।
8. विविध निधियों के निवेश से प्राप्त आय संबंधित निधियों को दिये जाते हैं।
9. आकस्मिक देनदारियों को लेखा के लिये “अन्य टिप्पणियों” में प्रकाशित किया जाता है।
10. विशेष अचल परिसम्पत्तियों से संबंधित प्राप्त सहायता अनुदान को उनके अंकित मूल्य प्राप्त करने में संबंधित परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाते हुये तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।
11. कार्गो और पोत संबंधित सेवाओं पर राजस्व सेवा के पूरा होने पर मान्यता प्राप्त है। संपत्ति से राजस्व समय के आधार पर मान्यता प्राप्त है।
12. निर्यात प्रोत्साहन तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन दिया जाता है कि शर्तों को पूरा किया गया है और प्रोत्साहन प्राप्त किया गया है।

13. मौजूदा कार्यों के लिए सभी नए कार्यों या परिवर्धन/परिवर्तन या सभी नए संयंत्र या उपकरण या क्राफ्ट या प्रतिस्थापन जिनकी लागत 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है या जिनकी आयु पांच साल से अधिक नहीं है को नए सामान्य कार्यों के रूप में राजस्व प्रभार लगाया जाता है।

भाग- II – अन्य टिप्पणियाँ

14. तुलन पत्र , पी एंड एल खाता और अनुसूचियों के आंकड़ों को फिर से इकट्ठा किया गया है, जहां कभी भी वर्ष के दौरान वस्तुओं में परिवर्तन पर आवश्यक परिणाम होता है।

15. पोर्ट का निष्पादन

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने 2017-18 के दौरान 29.14 एमएमटी की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 32.02 एमएमटी कार्गो हस्तन किया। वर्ष 2017-18 में कोचिन पोर्ट में आए 1555 जहाजों की तुलना में वर्ष 2018-19 में 1608 जहाज आये। पोर्ट ने वर्ष 2017-18 में 5,55,812 टीईयू कि तुलना में वर्ष 2018-19 में 5,94,592 टीईयू कंटेनर हस्तन किए।

16. अनुदान सहायता:

- ए) पोर्ट द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता का विवरण और उस पर किए गए व्यय एवं अर्जित ब्याज का ब्योरा तुलन पत्र में उप अनुसूची सी के रूप में दर्शाया गया है।
- बी) पोर्ट द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान सहायता राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ मियादी जमा के रूप में पार्क किए जाते हैं और आवश्यकता के आधार पर नकदीकरण किया गया। इस तरह के निवेशों से प्राप्त ब्याज को पोर्ट द्वारा आय के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कि अनुदान के नियमों और शर्तों में विशेष रूप से यह नहीं उल्लिखित किया जाता है कि ब्याज को अनुदान को जमा किया जाना है। सीओपीटी ने सिल्टेशन स्टडीज (पोत परिवहन मंत्रालय), बार्ज बर्थ का निर्माण (वाणिज्य मंत्रालय) और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (वाणिज्य मंत्रालय) के विकास के मामले में लेखा मंजूरी के लिए ब्याज दिया था। मंत्रालय के निर्देशानुसार ब्याज के लिए अनुदान पर उपार्जित ब्याज रु.23,50,799/- दिसंबर 2018 में मंत्रालय को भेज दिया गया था।
- नए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार सहायता या अग्रिम में अनुदान के लिए सभी ब्याज या अन्य आय (प्रतिपूर्ति के अलावा) जारी किए गए किसी भी ग्रांटी संस्था को लेखा को अंतिम रूप देने के बाद अनिवार्य रूप से भारत के समेकित कोष में भेजा जाना चाहिए।

पूछताछ पर पोत परिवहन मंत्रालय ने अर्जित ब्याज को तुरंत भेजने का निर्देश दिया। तदनुसार पोर्ट ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए पोत परिवहन मंत्रालय को मार्च 2019 में 1,19,26,530 रुपये दिए।

परियोजना का नाम	ब्याज की राशि
स्वच्छ भारत अभियान	29,35,955
तटीय द्रव्य टर्मिनल का नवीकरण	53,55,511
प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों की खरीद	36,35,064
कुल	1,19,26,530

पोर्ट द्वारा वल्लारपाडम में सबवे और रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए अनुदान पर अर्जित ब्याज 1,86,29,882 रुपये को मंत्रालय के सूचना पर उसी परियोजना हेतु अतिरिक्त काम आदि के लिए आर्बिट्रेशन के संबंध में लंबित दावों को पूरा करने के लिए बिना व्यय हुए शेष राशि को रोक रखने के लिए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल से कोई राय प्राप्त होने तक रोक रखा गया।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान पर अर्जित ब्याज 85,56,047 रुपये इस प्रकार है:

परियोजना का नाम	ब्याज की राशि
कोचिन पोर्ट क्रूज़ टर्मिनल में बुनियादी संरचना का विकास करना	97,045
अतिरिक्त पर्यटन सुविधा-वाँकवे का निर्माण	3,74,774
वाँकवे का विकास (चरण III)	34,09,021
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा एरणाकुलम वार्फ के बर्थ और बैक अप क्षेत्र का उन्नयन	46,75,207
कुल	85,56,047

पोर्ट ने मंत्रालय को अर्जित ब्याज प्रदान किया है और उनसे प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय के निर्देश के आधार पर 2019-20 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

17. भारत सरकार से लिया गया ऋण

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 24 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में सीओपीटी द्वारा लिए गए भारत सरकार के ऋणों पर 31.03.2016 को मूलधन, ब्याज और दंडात्मक ब्याज @0.25% की छूट के लिए सीओपीटी के प्रस्ताव

को मंजूरी दी थी और देयता को समाप्त कर दिया था और 2018-19 से शुरू 10 वर्षों में जमा राशि के पुनर्भुगतान का समय निर्धारण किया था।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रिकॉर्ड के अनुसार 31.03.2016 को भारत सरकार का ऋण की अंतिम देयता 558.53 करोड़ रुपये है। अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार पोर्ट द्वारा मार्च 2019 में 55.85 करोड़ रुपये की पहली किस्त चुकाई गई थी।

18. **डच ऋण**

इंडो डच द्विपक्षीय समन्वय कार्यक्रम 1991-2001 के तहत , कोचिन पोर्ट ने पोर्ट ड्रेजर-नेहरु शताब्दी के लिए पुर्जों की खरीद के लिए 29.05.1996 को एनएलजी 181,042.50 की वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। पोर्ट ने 20.11.1996 को तत्कालीन प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर 37,21,057 रुपये का पुनर्भुगतान किया था।

हालांकि, पोर्ट द्वारा डच ऋण की ओर 37,21,057 रुपये का पुनर्भुगतान मंत्रालय द्वारा एडीबी ऋण की बकाया राशि 66,39,257 रुपये के लिए समायोजित किए गए थे , जो पोर्ट द्वारा अपने क्यू8 और क्यू9 बर्थ पर एक पूर्ण विकसित कंटेनर टर्मिनल के लिए लिया गया था। इसके बाद मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यदि यह राशि एडीबी लोन या डच लोन के विरुद्ध समायोजित की गई और जैसा कि उनके सरकारी लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति की जा रही है कि उनके सस्पेंस खाते में बकाया है, डच ऋण की मूल राशि 36,47,749 रुपये जमा करने का अनुरोध किया जाना सारहीन है। पोर्ट ने दिनांक 16.08.2018 को आयोजित बैठक में बोर्ड की स्वीकृति के साथ सितंबर 2018 में 36,47,749 रुपये की ऋण राशि चुका दी है।

19. **पूंजीकरण:**

वर्ष 2018-19 के दौरान 4.84 करोड़ रुपये की संपत्ति का पूंजीकरण हुआ है। 31.03.2019 को 20.54 करोड़ रुपये की पूंजी कार्य प्रगति पर है।

20. **प्रावधानों:**

ए) वर्ष 2018-19 के लिए वेतन समझौता के लिए 13.66 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है , जिसमें अवकाश नकदीकरण की बकाया राशि भी शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए वेतन समझौता बकाया 10.27 करोड़ रुपये के रूप में किए गए लघु प्रावधान भी 2018-19 में प्रदान किए गए हैं।

बी) खातों में संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

21. **सेवा शुल्क**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों ने सुरक्षा सेवाओं, कानूनी शुल्क के लिए सेनवैट क्रेडिट, अयोग्य सेनवैट क्रेडिट, सीआईएसएफ आनुपातिक शुल्कों का अधिक उपयोग और मेसर्स आईजीटीपीएल से संपदा किराया , जेटी पर किरा या, लाइसेंस शुल्क , अग्रिम भुगतान, रॉयल्टी में दी गई सेवाओं पर सेवा कर के गैर संग्रह के लिए कुल 70.55

करोड़ रुपये की मांग करते हुए 27 कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। कानूनी राय के आधार पर, पोर्ट ट्रस्ट ने अपील दायर की है और सभी मामले उचित प्राधिकरण/न्यायाधिकरण/केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष उप-न्यायाधीश के अधीन हैं।

22. आय कर

ए) मूल्यांकन वर्ष 2016-17 तक आय कर मूल्यांकन पूरा हो गया है। मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के लिए मूल्यांकन आदेश 26.12.2018 को जारी किया गया था और 26.04.2019 को 7.10 करोड़ रुपये का रिफंड प्राप्त किया गया था।

बी) मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिये दिनांक 23.03.2019 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) तहत सूचना प्राप्त किया गया है। धारा 154 के अंतर्गत पोर्ट द्वारा उसी के खिलाफ दायर की गई सुधार याचिका को दिनांक 06.05.2019 को खारिज कर दिया गया और पोर्ट इस मामले को न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी के सामने उठाने की प्रक्रिया में है।

सी) माननीय आईटीएटी के आदेश के अनुसार पहले मूल्यांकन वर्षों की आय के अतिरिक्त आवेदन पर विचार करने के लिए पोर्ट द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2007-08 के लिए दायर की गई सुधार याचिका न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी के पास लंबित है।

डी) मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से लिये 2016-17 के लिए टीडीएस का रिफंड जो पैन में बदलाव के कारण लंबे समय से लंबित है, को विभिन्न स्तरों पर आयकर विभाग के साथ कार्रवाई की गई है और सीपीग्राम पर भी शिकायत दर्ज की गई है।

23. आस्थगित कर

एस-22 पर करों के लिए लेखांकन पर लेखा मानक के संदर्भ में, भविष्य के कर योग्य मुनाफे की आभासी/उचित निश्चितता के अभाव में खातों में आस्थगित कर संपदा (नेट) को मान्यता नहीं दी गई है।

24. निवेश

भारत सरकार ने महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 88(2) अंतर्गत पत्रांक पीओ/28025/2/2004-पीएलएन, दि. 21 नवंबर, 2006 में निधि के निवेश के रूप में कोचिन ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में रु। 15 लाख के निवेश को मंजूरी दी है।

25. आर्बीट्रेशन और कानूनी कार्यवाही

ए) सीओपीटी को दंडात्मक ब्याज के साथ गोदाम दरों पर अंतर पट्टा किराया इकट्ठा करने की अनुमति देते हुए संशोधित लीज रेंट के संबंध में मेसर्स पीएलएल के साथ आर्बीट्रेशन को दिनांक 24.08.2017 के आदेश में सीओपीटी के पक्ष में आवर्ड किया गया था। पीएलएल ने ओपी के लंबित निपटान के

संचालन के लिए आईएए के साथ माननीय जिला न्यायालय के समक्ष आर्बीट्रेशन के खिलाफ एक ओपी दायर किया। पीएलएल ने 19.01.2017 के निर्णय की समीक्षा करने के लिए दि.09.10.2017 के पत्रानुसार सचिव(पोत परिवहन) के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। सीओपीटी ने "जल सीमा के साथ भूमि" पर लीज किराए में वर्द्धित किराए को प्राप्त करने के लिए एवं दि.24.11.2017 को ड्रेज्ड बालू की दावा के लिए जिला न्यायालय के समक्ष आर्बीट्रल आवर्ड को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया है। जिला न्यायालय ने 2014 से 2010 टाम्प के दिशानिर्देश के अनुसार इस शर्त के अधीन कि पीएलएल संशोधित किराया का भुगतान करेगा आवर्ड में बने रहने के लिए दि.16.10.2017 को अंतरिम आदेश पारित किया। हालाँकि, पीएलएल ने उक्त आदेश के संशोधन के लिए एक और आईए दायर किया है। दिनांक 16.10.2017 को कोर्ट के निर्देश के आधार पर सीओपीटी ने जुर्माना ब्याज के साथ 01.04.2014 से 30.09.2017 तक लीज भाड़ा के लिए 26.38 करोड़ रुपये की मांग करते हुए दि.20.12.2017 नोटिस जारी किया है। जिला न्यायालय ने 12.06.2019 को सुनवाई की तिथि तय किया है। हालाँकि, 18.01.2018 को पीएलएल के साथ चर्चा के दौरान, पोर्ट ने अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी दी और एलएनजी जहाज को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए पीएलएल से अनुरोध किया कि वह बकाया के खिलाफ तुरंत 15 करोड़ रुपये का भुगतान करें। पीएलएल ड्रेजिंग भुगतान के रूप में भुगतान करने पर सहमत हुआ। पोत परिवहन मंत्रालय ने दि.06.02.2018 के पत्र में पीएलएल को बताया कि 24.08.2017 को आर्बीट्रेशन आवर्ड पारित होने तक वे दि.19.01.2017 के सचिव (पोत परिवहन) के आदेश पर विवाद नहीं किया है। पोत परिवहन मंत्रालय इसलिए पीएलएल को बिना किसी देरी के सीओपीटी को बकाया राशि भेजने का निर्देश दिया। पोत परिवहन के निर्देश के आधार पर सीओपीटी ने बकाया और जुर्माना ब्याज के लिए 27.38 करोड़ रुपये भेजने का अनुरोध करते हुए पीएलएल को 15.02.2018 को एक पत्र भेजा और 06.03.2018 को एक अनुस्मारक जारी किया गया था। पीएलएल ने 06.04.2018 को किटको की रिपोर्ट दि.20.01.2016, पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश दि.19.01.2017 एवं 06.02.2018 एवं सीओपीटी के दावा पत्र दि.15.02.2018 एवं 06.03.2018 को समाप्त करने के लिये उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया। केरल के माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 13.04.2018 को अपने अंतरिम आदेश में 3 महीने की अवधि के लिए पीएलएल से बकाया की वसूली पर शर्त पर रोक लगाई कि पीएलएल द्वारा भुगतान किए गए 15

करोड़ रुपये में से शेष ड्रेजिंग अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए 10.62 करोड़ रुपये लीज भाड़ा से समायोजित किया जा सकता है एवं पीएलएल को लीज भाड़ा देय के लिये 5 करोड़ रुपये देने होंगे, शेष राशि के लिए बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए एवं रिट याचिका के निपटान होने तक भविष्य में वर्द्धित दर का 50% का भुगतान करेगा। पीएलएल ने 13.04.2018 के अंतरिम आदेश को चुनौती दी। 11.05.2018 को खण्डपीठ ने एकल पीठ के आदेश के उस हिस्से को संशोधित किया , जिसमें पीएलएल को बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है और पीएलएल को वर्द्धित दर का 50% भुगतान करने आदि उल्लेख था। यह भी निर्देश दिया गया है कि पीएलएल लंबित रिट याचिका के दौरान पूर्व-संशोधित दर पर लीज के किराये का भुगतान करना जारी रखेगा। पोर्ट ने एकल पीठ के समक्ष पीएलएल द्वारा दायर रिट याचिका के खिलाफ जवाबी हलफनामा दायर किया है।

बी) मेसर्स आईजीटीपीएल ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष 300 करोड़ रुपये की दावा दायर किया था जिसके खिलाफ पोर्ट ने 1070.71 करोड़ रुपये का दावा किया था जिसमें पूंजी के संबंध में उठाए गए दावे , अनुरक्षण ड्रेजिंग कार्य, पोत संबंधित प्रभारों पर रियायत के कारण नुकसान, सुविधाओं के उपयोग के कारण राजस्व हिस्सेदारी का नुकसान , आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती की लागत, 01.04.2005 से 28.02.2011 तक पोर्ट कर्मचारियों के संबंध में आईजीटीपीएल को प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारियों के अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी योगदान की प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं । आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 12.05.2017 को अवार्ड पारित किया। लाइसेंस अवधि के शुरु होने की तिथि संबंधी मुद्दा आईजीटीपीएल के पक्ष में पारित किया गया। आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती , और छुट्टी वेतन , पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान की प्रतिपूर्ति की लागत के मुद्दे के संबंध में ट्रिब्यूनल ने कहा कि आईजीटीपीएल को लागत वहन करना है , लेकिन भुगतान की जाने वाली राशि को निर्दिष्ट नहीं किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा कि पार्टियों को दावेदारों द्वारा कितनी राशि देय है , इसका पता लगाना होगा और इसे आपस में सुलझाना होगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के विशेषज्ञ की राय के आधार पर सीओपीटी ने दिनांक 16.08.2017 को माननीय जिला न्यायालय , एर्नाकुलम में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अवार्ड 12.05.2017 के खिलाफ याचिका दायर की। आईजीटीपीएल ने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के प्रश्न के लिए एक याचिका दायर की है और सीओपीटी ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज किया है। मामले की सुनवाई 07.06.2019 को रखी गयी है।

सी) मेसर्स जैशु शिपिंग कंपनी प्रा .लि. जो वर्ष 2007-08 के लिए कोचिन पोर्ट में चैनलों के रखरखाव के लिए ड्रेजिंग के अनुबंध को कार्यान्वित किया समझौते में आर्बिट्रेशन क्लज को स्वागत किया एवं 3.51 करोड़ रुपये का दावा किया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 15.05.2013 को आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित हुआ एवं कोचिन पोर्ट को दावा की तिथि (19.04.2012) से अवार्ड जारी करने की तिथि तक 9 % वार्षिक ब्याज के साथ मेसर्स जैशु शिपिंग कंपनी को 0.87 करोड़

रुपये के भुगतान करने एवं इसके बाद भुगतान पूरा होने तक उसी रेट में भुगतान करने का निर्देश दिया। इस आर्ड के विरुद्ध कोचिन पोर्ट ने आर्बीट्रेशन और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत दिनांक 15.05.2013 के आर्बीट्रेशन आर्ड को चुनौती दी है, जो माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के समक्ष लंबित है। आगामी सुनवाई 27.05.2019 को रखी गई है।

डी) 2008-09 के करार संख्या 52 के तहत 01.09.2008 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान कोचिन पोर्ट के 14.50 मीटर ड्राफ्ट कंटेनर जहाजों और अनुरक्षण के लिए आवश्यक गहराई प्रदान करने के लिए एप्रोच चैनल और आईसीटीटी बर्थ बेसिन के कैपिटल ड्रेजिंग के लिए करार को मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि.को सौंपा गया था, जो प्रतिदेय प्रदान करने में विफल रहा जिसके लिए पोर्ट द्वारा भुगतानों को रोक दिया गया है। मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. द्वारा दी गई 19.25 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को 2011-12 में नकदीकृत किया गया। पार्टी ने तब समझौते में आर्बीट्रेशन खंड लागू किया। केरल के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. ने उनके द्वारा दायर सभी अतिरिक्त दावों को शामिल करते हुए 795 करोड़ रुपये का संशोधित दावा पुनर्गठित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया है और सीओपीटी ने अपना बचाव बयान दर्ज किया है। जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. ने पहले से किए गए काम के लिए अंतिम बिल के भुगतान, सुरक्षा जमा की वापसी और नकदीकृत निष्पादन गारंटी का भी दावा किया है। पोर्ट ने 322 करोड़ रुपए की जवाबी दावा किया है। दावेदार की दलीलें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सुनीं। पोर्ट का तर्क शुरू हो गया है। 03.11.2018 के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि जैशु ने अपने वित्तीय अवरोधों को देखते हुए आर्बिट्रेटर की फीस के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए सीओपीटी को आदेश देने के लिए अनुरोध के साथ एक आवेदन दायर किया था, जिसे सीओपीटी ने सहमति नहीं दी थी। इस बीच अब सीओपीटी के डीसीज्ड आर्बिट्रेटर के स्थान पर एक नए आर्बिट्रेटर को नामित करके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया गया है। आर्बीट्रेशन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार पहले की गई सुनवाई को दोहराया जाना चाहिए। अनुरक्षण ड्रेजिंग के लिए फरवरी 2011 और मार्च 2011 के लिए 3.69 करोड़ रुपये का बिल भुगतान के लिए संसाधित नहीं किया गया था क्योंकि आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

ई) वोल्वो ओशन रेस के लिए प्रायोजन शुल्क के संबंध में मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. के साथ 12 % प्रतिवर्ष के ब्याज दर के साथ 2.98 करोड़ रुपये की विवाद में न्यायालय ने दि. 26.09.2013 को कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के पक्ष में राय दिया है। पोर्ट द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार सीओपीटी डिक्री तिथि से 12 साल के भीतर राशि की वसूली के लिए निष्पादन याचिका दायर कर सकता है। हालांकि, इस संपदा जो मेसर्स जैशु शिपिंग कंपनी प्रा.लि.की स्वामित्व में है, जिन्हें संलग्न करने के लिए कोई बाधा नहीं है, की पहचान किया जाना है और अन्य सिविल प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है।

- एफ) मेसर्स जखाउ साल्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मट्टांचेरी वार्फ़ के पतन के कारण माल के नुकसान के लिए 1.47 करोड़ रुपए के लिए मुकदमा दायर किया गया था, जो पोर्ट के खिलाफ गया था। पोर्ट ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जो अभी भी लंबित है। निपटान के लिए अंतिम सुनवाई 29.10.2018 को तय की गई, तिथि विनिर्दिष्ट नहीं हुई है।
- जी) कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में 110 केवी सब-स्टेशन और इससे जुड़े कार्यों की स्थापना और कमीशनिंग कार्य 16.03.2007 को मेसर्स सीमेंस लिमिटेड, चेन्नई को दी गई और मेसर्स सीमेंस लिमिटेड के साथ समझौते के अनुसार 12 महीने की अवधि में काम पूरा करना था। चूंकि काम पूरा करने में 9 महीने की देरी हुई अंतिम भुगतान करते समय समझौते के अनुसार 1.76 करोड़ रुपये के परिसमाप्त नुकसान की कटौती की गई थी। आर्बिट्रेशन आवर्ड पोर्ट के खिलाफ था और इसलिए पोर्ट ने माननीय जिला न्यायालय एर्णाकुलम के समक्ष आवर्ड के खिलाफ अपील की। सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 23.05.2019 को निर्धारित की गई है।
- एच) सीओपीटी ने दो 45टन बोलाई पुल टॉगों के निर्माण एवं सुपुर्दगी के लिए मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लि., चेन्नई के साथ अनुबंध किया है। चूंकि टगों की डिलीवरी में देरी हुई थी सीओपीटी ने ठेकेदार से 8.09 करोड़ रुपये की लिक्विडेटेड डैमेज राशि वसूल की थी उन्होंने सीओपीटी के उपरोक्त निर्णय पर आपत्ति जताई और मामला आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ठेकेदार के दावे को खारिज करते हुए 10.09.2013 को आवर्ड पारित किया है। बाद में, मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड ने इस आवर्ड को अलग करने एवं ब्याज के साथ 8.09 करोड़ रुपये के लिक्विडेटेड डैमेज राशि को जारी करने के लिए माननीय जिला न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष 21.12.2013 को अपील दायर की है। सीओपीटी ने मेसर्स.टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के बयान पर आपत्ति दर्ज की। न्यायालय की कार्यवाही जारी है। अगली सुनवाई 07.06.2019 को तय की गई है।
- आई) पोर्ट ने मेसर्स.टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए टगों पर पाए गए निर्माण दोषों को सुधारने के लिए 15% की दर से ब्याज के साथ 1.05 करोड़ की राशि जो कोचिन पोर्ट द्वारा खर्च किया गया था की वसूली के लिए मेसर्स.टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा खिलाफ कोच्चि में माननीय उप न्यायालय के समक्ष 28.03.2014 को एक सिविल मुकदमा दायर किया। उन्होंने अनुबंध दिनांक 05.10.2006 के खंड 45.0 के संदर्भ में निर्धारित आर्बिट्रेशन के लिए विवाद को संदर्भित करने के लिये पोर्ट ट्रस्ट को निर्देश देने के लिये माननीय उप न्यायालय, कोच्चि के समक्ष दि.06.02.2015 को हलफनामा प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने आर्बिट्रेशन के लिए मामले को संदर्भित करने का निर्देश दिया था और दोनों पक्षों ने आर्बिट्रेटर नियुक्त किए हैं।

हालांकि मेसर्स.टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नामित आर्बीट्रेटर ने उन्हें बताया कि वह उपर्युक्त विवाद में आर्बीट्रेटर के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं। तदनुसार दि.29.03.2019 को मेसर्स.टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड को आर्बीट्रेशन पैनल में से अन्य आर्बीट्रेटर को नामित करने हेतु एक नोटिस जारी किया गया है और मेसर्स.टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड की उत्तर की प्रतीक्षा है।

- जे) 75 दिनों (लगभग 1.58 करोड़ रुपये) से अधिक एकत्र किए गए अतिरिक्त जमीन किराए की वापसी के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास मामले लंबित हैं। यह मामला 18.04.2017 को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए तय किया गया था और यह मामला 03.05.2017 को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, अदालत ने एसएलपी को 12, 13 और 14 सितंबर 2017 को लिया। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने इस मामले को 3 जजों की बड़ी पीठ के पास भेज दिया। यह मामला अब जुलाई 2019 के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए तय किया गया है।
- के) परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामले पुत्तुवाईपीन में एसईजेड क्षेत्र को सीधी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने , बेदखली/दावेदारों द्वारा निष्पादन याचिका में सशर्त रोक आदेश के लिए डिक्री ऋण के 50% के लिए उप न्यायालय, कोच्चि में जमा राशि के रूप में सीओपीटी ने 1.07 करोड़ रुपये अग्रिम लिया है। शेष राशि का प्रेषण अंतिम निर्णय के अधीन है। पुत्तुवाईपीन एसईजेड क्षेत्र में पीएलएल, बीपीसीएल-केआर और आईओसीएल जैसे सह-डेवलपर्स को सीओपीटी के अग्रिम राशि के 50 % राशि में उनके अंशदान की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया गया था जिसमें से पीएलएल और बीपीसीएल ने 26.97 लाख रुपये की अपनी हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति की है। आईओसीएल का हिस्सा 26.97 लाख रुपये अभी भी लंबित है जिसको त्वरान्वित किया जा रहा है।
- एल) निविदा में अनुमानित संस्करणों की तुलना में कम औसत दैनिक मात्रा के नुकसान, चार्टर लागत/दिन, कर्मचारियों के रखरखाव की लागत , करों और लेवी का भुगतान, लगातार मरम्मत की लागत और लाभ की हानि के लिए 14.346 करोड़ रुपये का दावा करते हुए विल्लिंगडन आईलैण्ड और बोलघाटी के बीच रो-रो/लो-लो बार्ज सेवा परिचालन के संबंध में सीओपीटी के खिलाफ मेसर्स लॉट्स शिपिंग लि. ने आर्बीट्रेशन दायर किया है। मेसर्स लॉट्स शिपिंग लिमिटेड की ओर से डिफॉल्ट/देय राशि के आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार सीओपीटी ने व्यावसायिक नुकसान, टर्मिनल उपयोग शुल्क का भुगतान न करने , पार्किंग शुल्क, नुकसान का दावा आदि के लिए 15.905 करोड़ रुपये का जबाबी दावा किया है। एकमात्र आर्बीट्रेटर को नियुक्त किया गया है और आर्बीट्रेशन की

कार्यवाही चल रही है। 29.09.2018 को मौखिक साक्ष्य पूरा हुआ। अब तक आर्बीट्रेशन की 20 बैठकें आयोजित की गईं। दि.23.03.2019 को आर्बीट्रल बैठक बहुत वाद विवाद के साथ शुरू और समाप्त हुआ। पोर्ट के पक्ष से वाद विवाद 22.04.2019 को हुआ।

एम) सीओपीटी ने आईजीटीपीएल के खिलाफ उनके द्वारा वल्लारपाडम एसईजेड में लागत वसूली शुल्क (सीआरसी) की प्रतिपूर्ति न करने के विवाद में आर्बीट्रेशन किया है। आर्बीट्रेशन न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। 11 मार्च 2019 को आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल की 10वीं और अंतिम बैठक आयोजित हुई जिसके दौरान पोर्ट और आईजीटीपीएल की ओर से बहस पूरी हुई और आवर्ड के लिए आरक्षित किया गया।

एन) कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने 02.07.2012 को 3 महीने की पूर्णता अवधि के साथ 1,6,77,000/- रुपये के कुल अनुबंध मूल्य पर "आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और 3 नग की कमीशनिंग। कोचीन फिशरीज हार्बर में 20 मीटर हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम" के लिए मेसर्स एंबीगोला एक्सपोर्टर्स, बेंगलुरु को कार्यादेश दिया था। लेकिन ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने में पांच महीने की देरी हुई थी। फार्म द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल से रु .5,02,278/- रुपये काट ली गई है, जिसमें एलडी के लिए केबल खाइयों के प्रभारों को बहाल करना एवं जेसीबी का उपयोग करके नींव के गड्ढे को भरने के लिए क्रमशः 1,59,825/-रुपये, 3,40,578/- रुपये एवं 1875/-रुपये शामिल हैं। मेसर्स एंबीगोला एक्सपोर्टर्स ने कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ माननीय मुंसिफ कोर्ट, कोच्ची के समक्ष मामला दायर किया। न्यायालय का निर्णय इस आदेश के साथ कि सालाना 6 % ब्याज दर के साथ मेसर्स एंबीगोला एक्सपोर्टर्स को 5,16,708/-रुपये भुगतान करना है, मेसर्स एंबीगोला एक्सपोर्टर्स के पक्ष में गया। 15.03.2019 को माननीय मुंसिफ कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ माननीय जिला न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है।

ओ) 1.91 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर मूल्य के साथ विल्लिंगडन आईलैण्ड में विभिन्न स्थानों पर हाल्ट क्षेत्र में यूजी टैंकों से 200 मिमी नमनीय लोहे की पंपिंग लाइन प्रदान करने का कार्य और इसके बाद सड़क सुधार कार्य को 12.05.2015 को मेसर्स ईस्ट इंडिया इंजीनियर्स को सौंपा गया। ठेकेदार ने 3 रेलवे क्रॉसिंग को छोड़कर पाइपलाइनिंग का काम पूरा किया रेलवे अधिकारियों से लंबित अनुमोदन के कारण सड़क सुधार कार्य पूरा नहीं हुआ था। ठेकेदार ने सड़क सुधार कार्य आदि के निष्पादन के लिए प्रतिधारण धन, संशोधित दरें जारी करने के बारे में कुछ मुद्दा उठाया है एवं इस कार्य के लिए एक मात्र आर्बीट्रेटर को नियुक्त किया है। एकमात्र आर्बीट्रेटर द्वारा जारी अंतिम आदेश के अनुसार ठेकेदार 74.59 लाख रुपये के दावों के लिए पात्र है और पोर्ट 18.48 लाख रुपये के दावों के लिए पात्र है। पोर्ट ने माननीय जिला न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी है।

पी) "वर्ष 2017-18 के लिए कोचिन पोर्ट में चैनलों और बेसिनों के अनुरक्षण के लिए ड्रेजिंग" 88.511 करोड़ रुपये की खुली निविदा के माध्यम से मेसर्स को डीसीआईएल को सौंपा गया। अनुबंध में दो भाग (i) भाग-ए- एकमुश्त के आधार पर - रु.75.041 करोड़ और (ii) भाग-बी - आवश्यकता/मात्रा के आधार-रु.13.47 करोड़ शामिल हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को अनुबंध की अवधि में अनुबंध के पूरे भाग के तहत आने वाले पूरे चैनल को (-) 15.90 मीटर की गहराई तक बनाए रखना होगा। डीसीआई द्वारा यह रिपोर्ट किया गया था कि (-) 15.90 मी गहराई प्राप्त करने के लिए पूर्व ड्रेज सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 8 मिलियन क्यूबिक मीटर की बैक लॉग मात्रा निकाली जानी थी और कार्य शुरू करने की तिथि से पूर्ण गहराई बनाने के लिए दी गई समय अवधि 2 महीने है। डीसीआई ने उन्हें चैनलों और बेसिनों को बनाए रखने के लिए अनुबंध पूरा होने तक उन्हें बिना किसी जुर्माना के सौंपने का अनुरोध किया है। जैसा कि डीसीआई के दावे समझौते की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं , सीओपीटी ने इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया है। अनुबंध के एकमुश्त हिस्से के तहत आ रही है चैनलों की गहराई में हाई रूलिंग की कमी को ध्यान में रखते हुए 2 महीने की स्वीकार्य अवधि के बाद न्यासीमण्डल ने संकल्प संख्या 127(कार्यसूची मद सं.बी4) के अनुसार (ए) कार्यसूची मद संख्या- बी4 में यथा विस्तृत एएमआरसीडी के माध्यम से विवादों को निपटाने के मद्देनजर 19-02-2018 को पूर्व में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर मेसर्स डीसीआई के साथ चालू अनुबंध जारी रखना एवं बी) जब तक विवादों को एएमआरसीडी के माध्यम से हल नहीं किया जाता मई 2018 से किए गए काम के लिए डीसीआई के मासिक बिलों के भुगतान जारी रखना जैसे कि (i) भाग ए के तहत - एकमुश्त के आधार पर सकल बिल राशि के लिये 75 % के दर से (ii) भाग बी के तहत-आवश्यकता/मात्रा के आधार पर किए गए कार्य के लिए पूर्ण भुगतान (iii) गहराई और चौड़ाई में कमी के कारण गैर निष्पादन के लिए वसूली को छोड़कर समझौते की शर्तों के अनुसार अन्य वसूलियाँ और अनुबंध के निष्पादन के लिए डीसीआई द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए शुल्क वसूल करना एवं (iv) ड्रेजिंग समिति द्वारा यथा अनुशंसित ऊपर दिए गए भुगतान के आधार पर ईंधन मूल्य भिन्नता भुगतान को प्रभावित करने के लिए अनुमोदन करने का संकल्प किया। तदनुसार डीसीआई द्वारा मई 2018 की अवधि के लिए उठाए गए बिलों का भुगतान डीसीआई को जारी किया गया था।

26.

सेवानिवृत्ति लाभ:

ए) 31.03.2019 के आंकड़ों के आधार पर एलआईसी द्वारा की गई देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 2774.26 करोड़ है। पेंशनभोगियों और मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन देयता क्रमशः 1725.23 करोड़ रुपये और 910.56 करोड़ रुपये है, जो कुल 2635.79 करोड़ रुपये है। और मौजूदा कर्मचारियों के लिए उपदान देयता लगभग 138.47 करोड़ रुपये है। इसके लिए दि.31.03.2019 तक कोचिन पोर्ट में क्रमशः पेंशन और उपदान फंड में क्रमशः 170.46 करोड़ और 7.59 करोड़ रुपये का निवेश है।

- बी) श्रेणी III और IV कर्मचारियों के वेतन पर प्रभावित वेतन संशोधन के प्रभाव के कारण पेंशन दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन 31.03.2018 को 2143.52 करोड़ रुपये की तुलना में 31.03.2019 तक 2635.79 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है।
- सी) पेंशन फंड की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दि.22.08.2015 को आयोजित कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की बोर्ड बैठक के दौरान भूमि के लीज पर प्राप्त प्रीमियम को पेंशन फंड ट्रस्ट में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2018-19 10.79 करोड़ रुपये का प्रीमियम पूर्ण रूप से एलआईसी के पेंशन फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा पोर्ट ने वर्ष 2018-19 के दौरान एलआईसी पेंशन फंड में 16.62 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए हैं। 2018-19 के दौरान कुल योगदान 27.41 करोड़ रुपये है जो आयकर नियम, 1962 के नियम 87 एवं 88 के निर्धारित सीमा के भीतर है।

27.

अन्य प्रकाशन:

- ए) रो-रो परिचालन के लिये आईडब्ल्यूएआई के साथ संयुक्त उद्यम आरओ-आरओ टर्मिनल 25.02.2011 से चालू हो गया है। 08.10.2009 को आईडब्ल्यूएआई और सीओपीटी के बीच हुए एमओयू के अनुसार बोलगाट्टी आईलैण्ड और विल्लिंगडन आईलैण्ड में रो-रो टर्मिनलों का प्रबंधन और संचालन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त प्रबंधन समिति (जेएमसी) का गठन करके पोर्ट और आईडब्ल्यूएआई द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। एमओयू के अनुसार, पोर्ट ठेकेदार से टर्मिनल शुल्क के संग्रह की व्यवस्था करेगा और टर्मिनलों के उपयोग से संबंधित सभी लेन-देन का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करेगा। प्रशासनिक व्यय अर्जित राजस्व से पूरा किया जाएगा और उत्पन्न शुद्ध अधिशेष आईडब्ल्यूएआई के 70% और सीओपीटी को 30% के अनुपात में साझा किया जाएगा। ठेकेदार से टर्मिनल उपयोग शुल्क के लिए प्राप्त राशि के लिए जेएमसी के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला गया था। निविदा शर्तों के अनुपालन में विफलता के कारण पोर्ट ने पार्टी को जून 2017 से प्रभाव से ऑपरेशन को रोकने का निर्देश दिया और बाद में पार्टी ने पोर्ट के खिलाफ आर्बीट्रेशन चलाया। जेएमसी के लेखा परीक्षित खाते 31.03.2018 को 35.17 लाख रुपये की संचित लाभ राशि दर्शाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान सीओपीटी के लेखा में "विविध प्राप्तियां" के तहत आय कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के लाभ का 30% हिस्सा 10.55 लाख रुपये है। सीओपीटी की लेखा में आईडब्ल्यूएआई के होने के कारण लाभ

का 70% हिस्सा यानि 24.62 लाख रुपये आईडब्ल्यूआई के खाते में दर्शाया गया है एवं यह आर्बिट्रेशन आर्ड के आधार पर तय किया जाएगा।

बी) पट्टेदारों से 1996 से पूर्व बकाया राशि
1996-पूर्व पट्टाधारकों के संबंध में पोर्ट ने वर्ष 2014 में टाम्प अधिसूचित दरों के आधार पर संशोधित लीज भाड़ा का दावा किया है। हालांकि, कोचिन पोर्ट लीज होल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से केरल के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया और मामले में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए 25.02.2015 को अंतरिम आदेश जारी किया गया। मुकदमा अभी भी लंबित है। इस बीच, संपत्ति के किराये को एक बार फिर से टाम्प अधिसूचना संख्या 304 दिनांक 22.07.2016 में संशोधित किया गया और 21.08.2016 से प्रभावी हुआ। पोर्ट द्वारा प्राप्त कानूनी राय के आधार पर 1996 से पूर्व के पट्टाधारकों सहित सभी पट्टाधारकों के संबंध में टाम्प अधिसूचित दर पर बिल उठाए गए। हालांकि 2 अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ (1996 से पहले पट्टाधारकों) कोचिन पोर्ट लीजहोल्डर्स एसोसिएशन ने डब्ल्यूपी(सी) सं. 12138/2017(एन) में केरल के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया है। वर्द्धित राशि की वसूली के लिए अंतरिम स्थगन आदेश दि.06.04.2017 को पारित किया गया था। 31.03.2019 तक मुकदमे राशि के तहत कुल बकाया राशि 4.09 करोड़ रुपये है।

सी) जेटी पर लाइसेंस शुल्क
सीओपीटी (जेटी, स्लिपवेज और बोट पेन का लाइसेंस) नियम 1968 एवं इसके संशोधन 1996 के आधार पर पोर्ट बोट जेटीज़ और पियर्स से लाइसेंस फीस संग्रह करता है। शुरुआत में लाइसेंस फीस 1297 रुपये प्रति जेटी प्रति वर्ष थी, जिसे दूसरों से संबंधित वल्म्स/नार्वों को बांधने के लिए अपने जेटी किराए पर दे रहे लोगों के लिए 1,00,000 रुपये प्रति जेटी प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया था। महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 123 (एन) में यथा अपेक्षित संशोधन को सरकारी राजपत्र में 13.05.2014 को प्रकाशित किए गए थे और 16.06.2014 को जेटी के मालिकों को सूचित किया गया। जेटी के मालिकों ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और अंतरिम आदेश पारित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता मांग का एक चौथाई 1/4th भुगतान करते हैं, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। उपयोग में आनेवाले 287 जेटी में से केवल 65 मालिकों ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है। मुकदमा के कारण शेष राशि लंबित है। इसके बाद पोर्ट ने जेटी के विवरण के आधार पर दरों में कमी की और 2000/-रुपये से 100000/- के बीच एक स्लैब दरें पेश कीं। इन्हें केरल सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और केन्द्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रतीक्षा किया जा रहा है। पोर्ट के एसओआर में सामान्य संशोधन के प्रस्ताव में जो टाम्प द्वारा विचाराधीन है, इन दरों को अब लागू कर दिया गया है।

- डी) एनटीबी और एसटीबी के बिजली बिल नर्थ और साउथ टैंकर बर्थ के लिए पोर्ट एचटी बिजली का कनेक्शन एचटीआईआई (गैर औद्योगिक - गैर वाणिज्यिक) टैरिफ के तहत बिल किया गया था। टैरिफ में संशोधन के परिणामस्वरूप केएसईबी ने 15.05.1999 से एचटी II से एचटी IV(व्यापारिक) टैरिफ का पुनर्वर्गीकृत किया है एवं केएसईबी ने मई 1999 से जुलाई 2010 तक की अवधि के लिए संशोधित बिल जारी किया है एवं बकाया राशि का दावा किया है। पोर्ट ने मामले पर रिट याचिका दायर की और वर्तमान में यह मामला लंबित है। पोर्ट वर्तमान में एचटी II टैरिफ के अनुसार बिल का भुगतान कर रहा है। 31.03.2019 तक विवादों के लिए अंतर राशि 35.85 लाख रुपये है।
- ई) संपत्ति के किराये के मामले में बिलिंग उन मामलों में नहीं की गई है, जिनके लिए पोर्ट ने फिर से शुरू करने का नोटिस दिया है और बेदखली की प्रक्रिया चल रही है।

एफ) इयूटी क्रेडिट विभाजन:

वर्ष के दौरान, पोर्ट को एसईआईएस विभाजन के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः 5.14 करोड़ एवं 7.18 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। चूंकि विभाजनों का उपयोग केवल सीमा शुल्क के भुगतान के खिलाफ किया जा सकता है और चूंकि पोर्ट ने निकट भविष्य में किसी भी आयात का अनुमान नहीं लगाया था, इसलिए पोर्ट ने लाभांश की नीलामी करने का फैसला किया क्योंकि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हैं। विभाजन और ई-नीलामी के विवरण इस प्रकार हैं:

वित्त वर्ष	स्क्रिप मूल्य	ई-नीलामी की तिथि	% वसूल किया गया	वसूल किय गया मूल्य
2016-17	5.14 करोड़	20.08.2018	99.45%	5.11 करोड़
2017-18	7.18 करोड़	02.05.2019	98.03%	7.04 करोड़

पोर्ट ने वर्ष 2016-17 के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए दूसरा आवेदन भी दायर किया है, जिसकी राशि 2.17 करोड़ रुपये है और इसे जेडीएफटी द्वारा जारी किया जाना बाकी है। पोर्ट ने 2018-19 के दौरान 98.03% के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार पर आय को मान्यता दी है।

उसी प्रकार मेसर्स आईजीटीपीएल ने वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए क्रमशः 6.77 करोड़, 5.74 करोड़ एवं 5.57 करोड़ रुपये स्क्रिप प्राप्त किया है। सी एवं एजी ने यह पाया कि आईजीटीपीएल को एसईआईएस स्क्रिप्स की बिक्री पर राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करना पड़ता है और पोर्ट हमारे कानूनी सलाहकारों से कानूनी राय के आधार पर और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आईजीटीपीएल

पर 4.16 करोड़ (2015-16 और 2016-17 के लिए एसईआईएस स्क्रेप पर आधारित)रुपये की मांग उठाई। राजस्व लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी में यह भी उल्लेख किया है कि आईजीटीपीएल ने एसईआईएस स्क्रेप की बिक्री पर राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान नहीं किया है। हालांकि, आईजीटीपीएल ने बाद में पोर्ट को सूचित किया कि 25.04.2018 और 18.04.2019 को लिखे गए उनके पत्रों में एसईआईएस स्क्रेप पर रॉयल्टी देय नहीं है। पोर्ट लाइसेंस समझौते के अनुसार आगे कदम उठाएगा।

28. कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के खातों का एक अलग सेट लेखा में दर्शाया गया है।

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

2018-19

के वार्षिक लेखे

पर

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की लेखा पर

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने महापत्तन न्यास (एमपीटी) अधिनियम , 1963 की धारा 102 के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्यों , शक्तियों और सेवाशर्तों) अधिनियम , 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, कोचिन के संलग्न तुलन पत्र की लेखापरीक्षा किया है। ये वित्तीय विवरण पोर्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखा मानक और प्रकटीकरण मानदंड आदि सर्वोत्तम

लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखांकन के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम व विनियम (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा अलग से सूचित किया जाता है।

3. हमने आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना

लेखापरीक्षा का संचालन किया है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और निष्पादित करते हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर प्रदर्शित राशि के समर्थित साक्ष्य की जांच और वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण आदि शामिल हैं। एक लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि:

- i. हमने आईजीटीपीएल के साथ रियायत समझौता के अनुसार कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कुल राजस्व और राजस्व के इसी हिस्से को प्रमाणित करने के लिए इंडिया गेटवे टर्मिनल (पी) लिमिटेड (आईजीटीपीएल) के मूल रिकॉर्ड के अलावा जो हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102 के तहत सीएजी द्वारा अनुमोदित प्रारूप में इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा को तैयार किया गया है।

- ii. हमारी राय में, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102 के तहत यथा अपेक्षित कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा लेखा एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की उचित रिकार्ड रखी गई हैं, जो अब तक हमारी लेखापरीक्षा में प्रदर्शित हुआ है।

हम आगे सूचित करते हैं कि:

ए. तुलन पत्र :

ए.। निधि के प्रयोग:

ए.।.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान: 747.66 करोड़ रुपये

- (i) मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनरों के पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान के कारण देयता को 31 मार्च 2019 तक 2774.26 करोड़ रूपए मूल्यांकन किया गया है जिसके लिए पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में 178.05 करोड़ रुपये निवेश किया गया था, जिसमें 2596.21 करोड़ रुपये की कमी आई। यह वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में 2596.21 करोड़ रुपये की कमबयानी के साथ साथ उसी हद तक लाभ की अतिबयानी में परिणामित हुई है।
यह टिप्पणी वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी जारी की गई थी। हालांकि, पोर्ट द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

- (ii) उपर्युक्त इंडियन पोर्ट एसोसिएशन को देय 1.66 करोड़ रुपये को पोर्ट कम्प्युनिटी सिस्टम और बेंचमार्किंग और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए सलाहकार शुल्क के रूप में समझा जाता है। यह मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों की कमबयानी एवं 1.66 करोड़ रुपये लाभ की अतिबयानी में परिणामित हुई है।

बी. लाभ एवं हानि लेखा:

बी.।. आय:

बी.।.1 संपदा भाड़ा : 108.33 करोड़ रुपये

उपर्युक्त मेसर्स पेन्ना सीमेंट्स इंडस्ट्रीस लि. से मार्च 2019 के लिए विद्युत प्रभार हेतु (विद्युत प्रभार के लिए 0.01 करोड़ समेत) प्राप्य 0.13 करोड़ रुपये को शामिल नहीं किया गया है।

यह 0.12 करोड़ रुपये की कमाई, 0.01 करोड़ रुपये की मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधान एवं विविध कर्जदारों द्वारा 0.13 करोड़ रुपये की कमबयानी में परिणामित हुई है।

बी.।.2 वित्त एवं विविध आय: 46.61 करोड़ रुपये

मेसर्स जैशू शिपिंग कं.(प्रा.)लि. को देय बयाना जमा राशि के रूप में 0.25 करोड़ रुपये की पोर्ट की लेखा है जिसके लिए आर्बिट्रेशन मामला लंबित है।

यह लाभ व आय की अतिबयानी के साथ 0.25 करोड़ रुपये की मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों की कमबयानी में परिणामित हुई है।

सी. सामान्य:

सी.1. पोर्ट ने न तो बीमाकिक मूल्यांकन किया है और न ही अपनी लेखा में अपने कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के प्रति देयता प्रदान की।

यह टिप्पणी वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी जारी की गई थी। हालांकि, बंदरगाह द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

डी. अनुदान सहायता

01 अप्रैल 2018 तक अनुदान का आदिशेष 5.69 करोड़ रुपये था। वर्ष 2018-19 के दौरान पोर्ट द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता 54.68 करोड़ रुपये था, जिसमें से मार्च 2019 के दौरान 6.37 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान 31.20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिसमें से पोर्ट द्वारा अपने फंड से 3.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए राशि में समायोजित किए गए थे। 31 मार्च 2019 तक अनुप्रयुक्त अनुदान से 25.85 करोड़ रुपये शेष रहा।

- v. पिछले अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के आधार पर हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा किए गए तुलन पत्र एवं लाभ व हानि की लेखा लेखा पुस्तिका के साथ समझौते में है।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अनुरूपता में प्रदत्त एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित अन्य मामलों और ऊपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों के साथ कथित वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और लेखा पर की गई टिप्पणियों के साथ अनुशीलन किया गया है।

ए. जहां तक यह 31 मार्च 2019 को कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; तथा

बी. अब तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के हानि के लाभ व हानि लेखा से संबंधित है।

5. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के सारांशित वित्तीय परिणामों को पिछले तीन वर्षों से दिखाए गए खातों की समीक्षा **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है।

कृते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-

(आर अंबलवाणन)

महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई के पदेन सदस्य

स्थान: चेन्नई

तिथि: 25.09.2019

अनुलग्नक I

1) आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता:

पोर्ट की आंतरिक लेखापरीक्षा चाटार्ड एकाउंटंट को सौंपा गया था। वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी तक उनके द्वारा जारी नहीं की गई है।

2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता, नियमों और विनियमों के अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में किसी संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उचित आश्वासन प्रदान करती है।

निम्नलिखित कमियों को देखा गया था:

- (i) एसएपी प्रणाली में तकनीकी मुद्दों के कारण तीन उप परिसंपत्तियों के लिए पोर्ट 1.81 लाख रुपये मूल्यहास को लेखांकित नहीं किया है।
- (ii) समाशोधन खाते की शेष राशि को समय-समय पर समेकित जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि शून्य होनी चाहिए। हालाँकि, निकासी खातों में मौजूद समाशोधित शेष राशि आंतरिक नियंत्रण की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

3) अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन

2018-19 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था

4) सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

महापत्तनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य रूपरेखा के अनुसार, पोर्ट को बस्तुसूची के मंद/अचल मदों के अवमूल्यन के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता थी। 2017-18 के लिए एसएआर हेतु अपनी रिपोर्ट में पोर्ट ने अवमूल्यन नीति तैयार करने का आश्वासन दिया था। हालाँकि पोर्ट ने बस्तुसूची के मंद/अचल मदों के अवमूल्यन के लिए कोई नीति नहीं अपनाई है। ऐसी नीति की अनुपस्थिति में तुलन पत्र में दर्शाये गये बस्तुसूची के मूल्यांकन की सटीकता एवं लाभ पर इसके परिणामी प्रभाव लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं किया जा सकता।

5) सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

पोर्ट नियत तिथि पर भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, सेवा कर, जीएसटी आदि सांविधिक देयों का भुगतान कर रहा है।

ह/-

निदेशक(प्रशासन)



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

ली गई

कार्रवाई टिप्पणी

सहित

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2018-19

अनुलग्नक- II

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की लेखा की समीक्षा

*नोट :नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में निहित लेखा-परीक्षा पर्यवेक्षण/टिप्पणियों को ध्यान दिये
बिना खारों की यह समीक्षा प्रस्तुत किया गया है।*

1. वित्तीय स्थिति

निम्नलिखित सारणी 31 मार्च, 2017, 2018 एवं 2019 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति का सारांश देती है।

(रुपए करोड़ों में)

व्यौरा		2016-17	2017-18	2018-19
ए	देनदारियाँ			
(i)	पूंजी भण्डार	84.84	84.84	84.84
(ii)	अन्य भण्डार	35.06	22.97	43.21
(iii)	उधार - पूंजीगत ऋण, सरकार से ऋण	258.14	258.14	232.33
	अन्य ऋण	0.66	0.66	0.30
(iv)	मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधान	955.70	975.08	955.25
(v)	अन्य देनदारियाँ	60.25	61.03	64.95
	कुल	1394.65	1402.72	1380.88
बी	परिसम्पत्तियाँ			
(i)	अचल सम्पत्ति	695.17	685.02	688.71
(ii)	न्यून: अवमूल्यन	(277.69)	(283.75)	(302.34)
(iii)	निवल अचल सम्पत्ति	417.48	401.27	386.37
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	18.50	24.59	20.54
(v)	निवेश	0.15	0.15	0.15
(vi)	मौजूदा सम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम	412.05	443.79	460.08
(vii)	संचित घाटा	546.47	532.92	513.74
	कुल	1394.65	1402.72	1380.88
सी	कार्यशील पूंजी ¹	(-)543.65	(-)531.29	(-) 495.17
डी	निवल संपत्ति ²	(-)426.57	(-)425.11	(-) 385.69
ई	पूंजी नियोजित ³	(-)126.17	(-)130.02	(-) 108.80
एफ	नियोजित पूंजी पर रिटर्न ⁴ (%में)	(-)21.54	(+)10.42	(+)17.63
1	ऋण पर अर्जित ब्याज सहित कार्यशील पूंजी वर्तमान संपत्तियों को वर्तमान देनदारियों को दर्शाती है।			
2	निवल संपत्ति पूंजी भण्डार और अन्य भण्डार और न्यून अधिशेष संचित घाटा को दर्शाता है।			
3	नियोजित पूंजी निवल अचल संपत्ति एवं कार्यशील पूंजी को दर्शाती है।			
4	नियोजित पूंजी पर रिटर्न निवल अधिशेष/घाटा(विनियमन से पहले) की प्रतिशतता दर्शाती है।			

2. कार्यशील परिणाम

31 मार्च, 2019 को समाप्त तीन वर्षों में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के कार्यशील परिणाम का सारांश निम्नवत है।

(रु.करोड़ में)

	ब्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19
ए	राजस्व			
(i)	परिचालन आय	496.23	526.79	585.51
(ii)	गैर-परिचालन आय	48.80	51.15	46.61
	कुल	545.03	577.94	632.12
बी	व्यय			
(i)	परिचालन व्यय	368.51	367.22	374.67
(ii)	गैर-परिचालन व्यय	203.69	197.18	238.27
	कुल	572.20	564.40	612.94
सी	विनियोजन से पहले निवल अधिशेष/घाटा	(-)27.17	(+)13.54	(+)19.18
डी	न्यून: विनियोजन / जोड़: अंतरण (निवल)	0	0	0
ई	अधिशेष/घाटा राजस्व भण्डार को अंतरित	(-)27.17	(+)13.54	(+)19.18
एफ	निवल अधिशेष/घाटे की प्रतिशतता:			
(i)	परिचालन आय	(-)5.48	(+)2.57	(+)3.28
(ii)	निवल अचल संपत्ति	(-)6.51	(+)3.37	(+)4.96
(iii)	निवल संपत्ति	(-)6.37	(+)3.18	(+)4.97

3. अनुपात विश्लेषण

पोर्ट ट्रस्ट की नकदी एवं करदान क्षमता पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाया गया है:

- वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान मौजूदा देनदारियों के लिए मौजूदा परिसंपत्तियों का प्रतिशत क्रमशः 43.11, 45.51 और 48.17 था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान मौजूदा देनदारियों के लिए त्वरित संपत्ति का प्रतिशत क्रमशः 33.79, 37.18 और 39.53 था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान परिचालन आय के लिये विविध देनदारों की प्रतिशत क्रमशः 28.51, 27.97 और 23.59 था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान पूंजी भण्डार एवं सामान्य भण्डार के लिये पूंजी ऋण का अनुपात क्रमशः 2.54, 2.53 और 2.28 था।

ह/-

निदेशक(प्रशासन)

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट का वर्ष 2018 -19 के लिए अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा पर उठाए गए बिन्दुओं का उत्तर

ए. तुलन पत्र :

ए.। निधि के प्रयोग:

ए.।.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान: 747.66 करोड़ रुपये

(i) मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनरों के पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान के कारण देयता को 31 मार्च 2019 तक 2774.26 करोड़ रूपए मूल्यांकन किया गया है जिसके लिए पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में 178.05 करोड़ रुपये निवेश किया गया था, जिसमें 2596.21 करोड़ रुपये की कमी आई। यह वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों में 2596.21 करोड़ रुपये की कमबयानी के साथ साथ उसी हद तक लाभ की अतिबयानी में परिणामित हुई है।

- कोचिन पोर्ट की वर्तमान वित्तीय स्थिति पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर भारी प्रावधान करने के लिए अनुकूल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को भारी नुकसान होगा एवं सहायता में सरकारी अनुदान/वित्तीय संस्थानों से धन जुटाने के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।

(ii) उपर्युक्त इंडियन पोर्ट एसोसिएशन को देय 1.66 करोड़ रुपये को पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम और बेंचमार्किंग और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए सलाहकार शुल्क के रूप में समझा जाता है। यह मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों की कमबयानी एवं 1.66 करोड़ रुपये लाभ की अतिबयानी में परिणामित हुई है।

- आईपीए द्वारा पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम अंशदान और बेंचमार्किंग और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए सलाहकार शुल्क के रूप में दावा की गई 1.66 करोड़ रुपये के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित पड़ा था। आईपीए द्वारा उठाए पूरे दावे की स्वीकार्यता में पोर्ट की अनिश्चितता थी।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने से जून 2019 को पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम अंशदान की ओर 35.02 लाख रूपए की रकम भुगतान किया था। बेंचमार्किंग के लिए सलाहकार शुल्क की ओर 86.53 लाख रूपए की रकम तथा अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए सलाहकार शुल्क के रूप में 44.54 लाख रूपए का दो दावे के संबंध में अन्य पत्तनों से उनके द्वारा ली गए कार्रवाई की टिप्पणी मिलना है। इसीलिए दावी की स्वीकार्यता करने के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

उपर्युक्त अनिश्चितता के नाते, 2018-19 के दौरान कोई प्रवधान का उपबंध नहीं किया गया था।

बी. लाभ एवं हानि लेखा:

बी.1. आय:

बी.1.1 संपदा भाड़ा : 108.33 करोड़ रुपये

उपर्युक्त मेसर्स पेन्ना सीमेंट्स इंडस्ट्रीस लि. से मार्च 2019 के लिए विद्युत प्रभार हेतु (विद्युत प्रभार के लिए 0.01 करोड़ समेत) प्राप्य 0.13 करोड़ रुपये को शामिल नहीं किया गया है।

- पेन्ना सीमेंट्स का विद्युत प्रभार दस्ती तौर पर एसएपी में दर्ज किया गया चूंकि पेन्ना सीमेंट में संस्थापित मीटर का गणनखंड आईएसयू मोड्यूल में उपलब्ध नहीं हुआ है। फिर भी दर्ज करते समय भूलचूक से विविध रसीदों के लेखाकरण के अधीन उसका लेखाकरण गलती से किया गया जो भविष्य में ठीक किया जाएगा। आईएसयू मोड्यूल में अपेक्षित संरूपण करने के लिए आवश्यक कदम प्रारंभ की गई है। छोड़ी हुई विद्युत प्रभार एवं अधिशुल्क के जो भुगतान किए जाने हैं उनका भुगतान जुलाई 2019 में किए गए। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्युत प्रभार एवं शुल्क के लिए आवश्यक प्रावधान निर्धारित वर्ष के मार्च महीने में किए जाते हैं।

बी.1.2 वित्त एवं विविध आय: 46.61 करोड़ रुपये

मेसर्स जैशू शिपिंग कं.(प्रा.)लि. को देय बयाना जमा राशि के रूप में 0.25 करोड़ रुपये की पोर्ट की लेखा है जिसके लिए आर्बिट्रेशन मामला लंबित है। यह लाभ व आय की अतिबयानी के साथ 0.25 करोड़ रुपये की मौजूदा देनदारियों एवं प्रावधानों की कमबयानी में परिणामित हुई है।

- मेसर्स जैशू शिपिंग कं.(प्रा.)लि. के देय बयाना जमा राशि के रूप में 2019-20 के दौरान आवश्यक संशोधित प्रविष्टिपारित की गई है।

सी. सामान्य:

सी.1. पोर्ट ने न तो बीमाकिक मूल्यांकन किया है और न ही अपनी लेखा में अपने कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के प्रति देयता प्रदान की। यह टिप्पणी वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी जारी की गई थी। हालांकि, बंदरगाह द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

- पोर्ट ट्रस्ट के वार्षिक खाते बिलिमोरिया रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो न तो अर्जित अवकाश नकदीकरण के वास्तविक मूल्यांकन की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हैं और न ही इसके प्रति उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। पोर्ट, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश नकदीकरण के वास्तविक मूल्य निर्धारण प्रणाली का पालन नहीं करता है।

डी. अनुदान सहायता

01 अप्रैल 2018 तक अनुदान का आदिशेष 5.69 करोड़ रुपये था। वर्ष 2018-19 के दौरान पोर्ट द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता 54.68 करोड़ रुपये था, जिसमें से मार्च 2019 के दौरान 6.37 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान 31.20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिसमें से पोर्ट द्वारा अपने फंड से 3.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए राशि में समायोजित किए गए थे। 31 मार्च 2019 तक अनुप्रयुक्त अनुदान से 25.85 करोड़ रुपये शेष रहा।

- तथ्यात्मक

अनुलग्नक I

1) आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता:

पोर्ट की आंतरिक लेखापरीक्षा चाटार्ड एकाउंटंट को सौंपा गया था। वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी तक उनके द्वारा जारी नहीं की गई है।

- आंतरिक लेखा परीक्षक ने 2018-19 के दूसरी छमाही में लेखा परीक्षा पर्यवेक्षण जारी किया है और पोर्ट प्रबंधन इसके उत्तर की प्रावधान देने की प्रक्रिया में है।

2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता, नियमों और विनियमों के अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में किसी संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उचित आश्वासन प्रदान करती है। निम्नलिखित कमियों को देखा गया था:

- (i) एसएपी प्रणाली में तकनीकी मुद्दों के कारण तीन उप परिसंपत्तियों के लिए पोर्ट 1.81 लाख रुपये मूल्यहास को लेखांकित नहीं किया है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजी 3 उप परिसंपत्तियों के लिए गणित चूक मूल्यहास की आवश्यक संशोधन 2019-20 में की जाएगी।
 - (ii) समाशोधन खाते की शेष राशि को समय-समय पर समेकित जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि शून्य होनी चाहिए। हालाँकि, निकासी खातों में मौजूद समाशोधित शेष राशि आंतरिक नियंत्रण की अपर्याप्तता को दर्शाता है।
 - वर्ष 2019-20 के दौरान खाते की समाशोधन विश्लेषित की जाएगी तथा समय-समय पर इसकी समाशोधन करने का प्रयास भी की जाएगी। हर एक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि शून्य रखने का प्रबंध किया जाएगा।

3) अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन

2018-19 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

- तथ्यात्मक

4) सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

महापत्तनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य रूपरेखा के अनुसार, पोर्ट को बस्तुसूची के मंद/अचल मदों के अवमूल्यन के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता थी। 2017-18 के लिए एसएआर हेतु अपनी रिपोर्ट में पोर्ट ने अवमूल्यन नीति तैयार करने का आश्वासन दिया था। हालांकि पोर्ट ने बस्तुसूची के मंद/अचल मदों के अवमूल्यन के लिए कोई नीति नहीं अपनाई है। ऐसी नीति की अनुपस्थिति में तुलन पत्र में दर्शाये गये बस्तुसूची के मूल्यांकन की सटीकता एवं लाभ पर इसके परिणामी प्रभाव लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं किया जा सकता।

- बस्तुसूची के मंद/अचल मदों के अवमूल्यन के संबंध में , सीओपीटी के अधिकतम स्टॉक चीज़ उपभोज्य प्रकार के हैं जो कि पोर्ट के दिन-व-दिन प्रचालन की आवश्यकता के लिए प्राप्त होनेवाले हैं। इसलिए बस्तुसूची के मंद/अचल मदों के अवमूल्यन वोलियम नगण्य है जिसे कि पोर्ट ने बस्तुसूची के मंद/अचल मदों के अवमूल्यन के लिए बिलिमोरिया रिपोर्ट में प्रावधान की थी तो भी कोई नीति नहीं अपनाई है।

जबकि बस्तुसूची के मंद/अचल मदों के अवमूल्यन के लिए विभिन्न पोर्ट विविध नीति का अनुपालन करने के कारण , आईपीए सभी पत्तनों के लिए एकीकृत नीति रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में है तथा इसी के संबंध में आईपीए द्वारा एक अंतिम निर्णय लेने के बाद इसका अनुपालन किया जाएगा ।

5) सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

पोर्ट नियत तिथि पर भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, सेवा कर, जीएसटी आदि सांविधिक देयों का भुगतान कर रहा है।

- तथ्यात्मक

अनुलग्नक- II

1. वित्तीय स्थिति

निम्नलिखित सारणी 31 मार्च, 2017, 2018 एवं 2019 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति का सारांश देती है।

(रुपए करोड़ों में)

ब्यौरा		2016-17	2017-18	2018-19	
ए	देनदारियाँ				
(i)	पूंजी भण्डार	84.84	84.84	84.84	
(ii)	अन्य भण्डार	35.06	22.97	43.21	
(iii)	उधार - पूंजीगत ऋण, सरकार से ऋण	258.14	258.14	232.33	
	अन्य ऋण	0.66	0.66	0.30	
(iv)	मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधान	955.70	975.08	955.25	
(v)	अन्य देनदारियाँ	60.25	61.03	64.95	
	कुल	1394.65	1402.72	1380.88	
बी	परिसम्पत्तियाँ				
(i)	अचल सम्पत्ति	695.17	685.02	688.71	
(ii)	न्यून: अवमूल्यन	(277.69)	(283.75)	(302.34)	
(iii)	निवल अचल सम्पत्ति	417.48	401.27	386.37	
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	18.50	24.59	20.54	
(v)	निवेश	0.15	0.15	0.15	
(vi)	मौजूदा सम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम	412.05	443.79	460.08	
(vii)	संचित घाटा	546.47	532.92	513.74	तथ्यात्मक
	कुल	1394.65	1402.72	1380.88	
सी	कार्यशील पूंजी ¹	(-)543.65	(-)531.29	(-) 495.17	
डी	निवल संपत्ति ²	(-)426.57	(-)425.11	(-) 385.69	
ई	पूंजी नियोजित ³	(-)126.17	(-)130.02	(-) 108.80	
एफ	नियोजित पूंजी पर रिटर्न ⁴ (%में)	(-)21.54	(+)10.42	(+)17.63	
1	ऋण पर अर्जित ब्याज सहित कार्यशील पूंजी वर्तमान संपत्तियों को वर्तमान देनदारियों को दर्शाती है।				
2	निवल संपत्ति पूंजी भण्डार और अन्य भण्डार और न्यून अधिशेष संचित घाटा को दर्शाता है।				
3	नियोजित पूंजी निवल अचल संपत्ति एवं कार्यशील पूंजी को दर्शाती है।				
4	नियोजित पूंजी पर रिटर्न निवल अधिशेष/घाटा(विनियमन से पहले) की प्रतिशतता दर्शाती है।				

2. कार्यशील परिणाम

31 मार्च, 2019 को समाप्त तीन वर्षों में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के कार्यशील परिणाम का सारांश निम्नवत है।

(रुपए करोड़ों में)

	ब्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19	
ए	राजस्व				
(i)	परिचालन आय	496.23	526.79	585.51	
(ii)	गैर-परिचालन आय	48.80	51.15	46.61	
	कुल	545.03	577.94	632.12	
बी	व्यय				
(i)	परिचालन व्यय	368.51	367.22	374.67	
(ii)	गैर-परिचालन व्यय	203.69	197.18	238.27	
	कुल	572.20	564.40	612.94	
सी	विनियोजन से पहले निवल अधिशेष/घाटा	(-)27.17	(+)13.54	(+)19.18	तथ्यात्मक
डी	न्यून: विनियोजन /	0	0	0	
	जोड़: अंतरण (निवल)				
ई	अधिशेष/घाटा राजस्व भण्डार को अंतरित	(-)27.17	(+)13.54	(+)19.18	
एफ	निवल अधिशेष/घाटे की प्रतिशतता:				
(i)	परिचालन आय	(-)5.48	(+)2.57	(+)3.28	
(ii)	निवल अचल संपत्ति	(-)6.51	(+)3.37	(+)4.96	
(iii)	निवल संपत्ति	(-)6.37	(+)3.18	(+)4.97	

3. अनुपात विश्लेषण

वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान मौजूदा देनदारियों के लिए मौजूदा परिसंपत्तियों का प्रतिशत क्रमशः 43.11, 45.51 और 48.17 था।	तथ्यात्मक
वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान मौजूदा देनदारियों के लिए त्वरित संपत्ति का प्रतिशत क्रमशः 33.79, 37.18 और 39.53 था।	
वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान परिचालन आय के लिये विविध देनदारों की प्रतिशत क्रमशः 28.51, 27.97 और 23.59 था।	
वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान पूंजी भण्डार एवं सामान्य भण्डार के लिये पूंजी ऋण का अनुपात क्रमशः 2.54, 2.53 और 2.28 था।	

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी